

अध्याय - II  
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम



## अध्याय - II

### सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

#### 2.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

##### 2.1.1 प्रस्तावना

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) की स्थापना वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए की जाती है और ये राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2016 तक रा.रा.क्षे. दिल्ली में सभी 17 सा.क्षे.उ. कार्यशील थे। इनमें से कोई भी कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2015–16 के दौरान, किसी भी सा.क्षे.उ. को निगमित या बंद नहीं किया गया। 31 मार्च 2016 तक रा.रा.क्षे. दिल्ली में राज्य सा.क्षे.उ. के विवरण नीचे तालिका 2.1.1 में दिए गए हैं:

तालिका 2.1.1: 31 मार्च 2016 तक सा.क्षे.उ. की कुल संख्या

सा.क्षे.उ. के प्रकार	कार्यशील सा.क्षे.उ.	कुल
सरकारी कंपनियाँ <sup>1</sup>	15	15
सांविधिक निगम	2	2
योग	17	17

सा.क्षे.उ. ने अपने नवीनतम निर्णित लेखों के अनुसार 30 सितम्बर 2016 तक ₹ 8,597.77 करोड़ का टर्नओवर दर्ज कराया जो राज्य के वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के 1.54 प्रतिशत के बराबर था। बारह सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,177.81 करोड़ का लाभ अर्जित किया व चार सा.क्षे.उ. ने ₹ 2,917.77 करोड़ की हानि वहन की। इस प्रकार, 30 सितम्बर 2016 तक अपने नवीनतम निर्णित लेखों के अनुसार सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,739.96 करोड़ की कुल हानि वहन की। मार्च 2016 के अन्त तक इन सा.क्षे.उ. के पास 0.36 लाख कर्मचारी थे।

##### 2.1.2 उत्तरदायित्व संरचना

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के सेक्षण 143(6) द्वारा शासित होती है। अधिनियम के सेक्षण 2(45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी जिसमें सरकारों द्वारा प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग रखा जाता है और सरकारी कंपनी की अनुषंगी कंपनी भी शामिल होती है। आगे अधिनियम के सेक्षण 143(7) के अनुसार कोई भी कंपनी जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार व आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित की जाती हो, को भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.), एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखों की लेखापरीक्षा जांच करा सकता है और ऐसी लेखापरीक्षा पर नियंत्रक— महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के सेक्षण 19 ए के प्रावधान लागू होंगे। 01 अप्रैल 2014 से पहले प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों के लिए कंपनियों की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन प्रावधानों द्वारा सतत शासित किया जायेगा।

<sup>1</sup>गैर-कार्यशील सा.क्षे.उ. वे हैं जिनका अपना संचालन बंद हो चुका है।

### 2.1.3 सांविधिक लेखापरीक्षा

सरकारी कंपनियों (जैसा कंपनी अधिनियम 2013, के सेक्शन 2(45) में परिभाषित है) की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों जो नि.म.ले.प. द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के सेक्शन 139 (5) या (7) के अनुसार नियुक्त किए गए हों, द्वारा की जाती है। उक्त अधिनियम के सेक्शन 143(6) के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा सेक्शन 143(5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिनों के भीतर नि.म.ले.प. द्वारा की जाएगी। कंपनी अधिनियम के सेक्शन 136 के उप सेक्शन (1) के अन्तर्गत, नि.म.ले.प. द्वारा की गई टिप्पणियां या पूरक, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कंपनी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जो कि लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के लिए अधिकृत है को भेजी जाएगी एवं सेक्शन 143(6)(बी) के अंतर्गत कंपनी की वार्षिक आम सभा के समक्ष भी रखी जाएगी।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान द्वारा शासित होती है। नि.म.ले.प., दिल्ली परिवहन निगम का एकल लेखापरीक्षक है। दिल्ली वित्तीय निगम की लेखापरीक्षा चार्टड अकाउटेट द्वारा व पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है।

### 2.1.4 सरकार और विधानमंडल की भूमिका

राज्य सरकार इन सा.क्षे.उ. के कार्य पर उनके प्रशासनिक विभागों द्वारा नियन्त्रण रखती है। मुख्य अधिशासी और बोर्ड के निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के लेखों व उपयोग की भी निगरानी करता है। इस उद्देश्य के लिए वार्षिक रिपोर्ट सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ व राज्य सरकारी कंपनियों के संबंध में नि.म.ले.प. की टिप्पणियों एवं सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानमंडल के समक्ष, तीन माह के भीतर और जैसा कि संबंधित अधिनियमों में भी विनिर्दिष्ट है, रखा जाता है। नि.म.ले.प. का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को नि.म.ले.प. के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 के सेक्शन 19 ए के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

### 2.1.5 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की हिस्सेदारी

रा.रा.क्षे.दि.स. की इन सा.क्षे.उ. में ठोस वित्तीय हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार की है:

- **अंश पूंजी व ऋण—** अंश पूंजी के योगदान के अतिरिक्त, रा.रा.क्षे.दि.स. समय—समय पर सा.क्षे.उ. को ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता भी देती है।
- **विशेष वित्तीय समर्थन—** रा.रा.क्षे.दि.स. सा.क्षे.उ. को जब भी आवश्यकता हो अनुदान और आर्थिक सहायता के रूप में बजटीय समर्थन देती है।
- **गारंटी—** सा.क्षे.उ. द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों को रा.रा.क्षे.दि.स. ब्याज सहित पुनर्भुगतान करने के लिये गारंटी भी देती है।

### 2.1.6 राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश

31 मार्च 2016 तक 17 सा.क्षे.उ. में निवेश (पूंजीगत व दीर्घकालिक ऋण) ₹ 27,289.04 करोड़ था जो नीचे तालिका 2.1.2 में दिया गया है:

**तालिका 2.1.2: सा.क्षे.उ. में कुल निवेश**


(₹ करोड़ में)

सा.क्षे.उ. का प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूंजीगत	दीर्घकालिक ऋण	योग	पूंजीगत	दीर्घकालिक ऋण	योग	
सा.क्षे.उ.	7,607.72	5,947.91	13,555.63	2,010.27	11,723.14	13,733.41	27,289.04

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्रित की गई सूचना


31 मार्च 2016 तक कुल निवेश में 35.24 प्रतिशत पूंजीगत व 64.76 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण का भाग था। वर्ष 2011–12 में निवेश ₹ 27,951.87 करोड़ से 2.37 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2015–16 में ₹ 27,289.04 करोड़ हो गया जैसा नीचे चार्ट 2.1.1 में दर्शाया गया है:

**चार्ट 2.1.1: सा.क्षे.उ. में कुल निवेश**



31 मार्च 2012 और 31 मार्च 2016 के अंत में चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता को नीचे चार्ट 2.1.2 में दर्शाया गया है।

**चार्ट 2.1.2: सा.क्षे.उ. में क्षेत्रवार निवेश**



(कोष्ठक के आंकड़े कुल निवेश से क्षेत्रवार निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

सा. क्षे. उ. के निवेश का जोर मुख्य रूप से परिवहन व ऊर्जा क्षेत्र में था। ऊर्जा क्षेत्र में निवेश 2011–12 में कुल निवेश का 50.78 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में कुल निवेश का 48.84 प्रतिशत हो गया। कुल निवेश में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी 2011–12 में 48.34 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 50.35 प्रतिशत हो गया।

### 2.1.7 वर्ष के दौरान विशेष सहायता और प्रतिफल

रा.रा.क्षे.दि.स. वार्षिक बजट के माध्यम से सा.क्षे.उ. को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 2015–16 को समाप्त हुए तीन वर्षों के लिए राज्य सा.क्षे.उ. के संबंध में इकिवटी, ऋणों तथा अनुदान/आर्थिक सहायता के बजटीय निर्गम का सारांशित ब्यौरा नीचे तालिका 2.1.3 में दिया गया है:

**तालिका 2.1.3: सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता के संबंध में ब्यौरा**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		सा.क्षे.उ. की सं.	राशि	सा.क्षे.उ. की सं.	राशि	सा.क्षे.उ. की सं.	राशि
1.	बजट से इकिवटी पूँजीगत निर्गम	-	-	-	-	-	-
2.	बजट से दिया गया ऋण	5	3,639.39	2	200.00	3	565.00
3.	बजट से अनुदान/आर्थिक सहायता	4	1,455.14	6	1,603.35	4	1,339.41
<b>कुल निर्गम (1+2+3)</b>		<b>8</b>	<b>5,094.53</b>	<b>7</b>	<b>1,803.35</b>	<b>6</b>	<b>1,904.41</b>

\* खोतः सा.क्षे.उ. से एकत्रित की गई सूचना

### 2.1.8 वित्त लेखों से मिलान

राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार बकाया इकिवटी व ऋण संबंधित आंकड़े, राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़े से मेल खाने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग को अंतर का समाधान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2016 की स्थिति नीचे तालिका 2.1.4 में दी गई है:

**तालिका 2.1.4: वित्त लेखों की तुलना में सा.क्षे.उ. के रिकार्ड के अनुसार बकाया इकिवटी व ऋण**

(₹ करोड़ में)

बकाया के संबंध में	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सा.क्षे.उ.* के रिकार्ड के अनुसार राशि	अंतर
इकिवटी <sup>2</sup>	9,182.58	9,197.70	15.12
ऋण <sup>3</sup>	17,559.27	15,453.94	2,105.33

\* खोतः सा.क्षे.उ. से एकत्रित की गई सूचना

<sup>2</sup>इकिवटी आंकड़े में केवल रा.रा.क्षे.दि.स. का अंश ही शामिल है।

<sup>3</sup>ऋण के आंकड़े कंपनियों के रिकार्ड से लिए गए हैं और वे.ले.का. से प्राप्त की गई सूचना से मिलान किए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 सा.क्षे.उ.<sup>4</sup> में अंतर आया और कुछ अंतरों का समाधान वर्ष 2008 से लंबित है। सरकार व सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढंग से अंतरों का समाधान करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए।

### 2.1.9 लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया

कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 96(1) तथा सेक्शन 129(2) के अनुसार प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणियों को संबंधित वित्त वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् छः महीनों के भीतर अर्थात् सितम्बर के अंत तक अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है। ऐसा करने में असफल होने पर उक्त अधिनियम के सेक्शन 99 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान है। यथानुसार, सांविधिक निगमों के मामलों में संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षित अंतिम लेखों को विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है।

30 सितंबर 2016 को लेखों को अंतिम रूप देने में सा.क्षे.उ. द्वारा की गई प्रगति का विवरण नीचे तालिका 2.1.5 में दिया गया है:

**तालिका 2.1.5: सा.क्षे.उ. के लेखों को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति**

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	सा.क्षे.उ. की संख्या	17	17	17	17	17
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	12	21	15	9	12
3.	बकाया लेखों की संख्या	16	12	14	22	27
4.	लेखों के बकाये के साथ सा.क्षे.उ. की संख्या	8	3	4	11	14
5.	बकाया की स्थिति (संख्या वर्षों में)	1 से 9	1 से 9	1 से 10	1 से 11	1 से 12

सा.क्षे.उ. जिनके लेखे बकाया है को इनके शीघ्र निपटान करने हेतु प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है। इस तरह से सा.क्षे.उ. को यह सुनिश्चित करना चाहिए की कम से कम एक वर्ष के लेखों को प्रत्येक वर्ष अंतिम रूप दे दिया जाए जिससे आगे बकाया को एकत्रित होने से रोका जा सके।

प्रशासनिक विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह इन इकाईयों की गतिविधियां देखे और यह सुनिश्चित करे कि लेखों को निर्धारित समय में इन सा.क्षे.उ के लेखों को अंतिम रूप दिया व उन्हें अंगीकृत कर लिया जाये। यद्यपि वित्त विभाग को महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा समय-समय पर, बकाया लेखों को अंतिम रूप देने के लिए सूचित किया गया, पर्याप्त उपचारी कार्रवाई नहीं की गई। परिणामस्वरूप, इन सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य का निर्धारण नहीं हो सका। जून और नवम्बर 2016 में मामले को प्रधान सचिव, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समक्ष भी उठाया गया था।

<sup>4</sup>इक्विटी आंकड़े के लिए डीएससीएफडीसी, दि.रा.आौ.आ.वि.नि., शा.पु.वि.नि., दि.प.आ.वि.नि. दि.प.नि. तथा ऋण आंकड़े के लिए डीएससीएफडीसी, शा.पु.नि., जि.स्पे.दि.लि., दि.पॉ.कं.लि., दि.ट्रां.लि., इं.पॉ.उ.कं.लि., प्र.पॉ.कॉ.लि., दि.रा.ना.आ.नि. एवं दि.प.प.वि.नि.।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने वर्ष के दौरान छ: सा.क्षे.उ. में ₹ 2,072.42 करोड़ {इक्विटी ₹ 19.28 करोड़ (एक सा.क्षे.उ.), ऋण: ₹ 627.49 करोड़ (चार सा.क्षे.उ.)} और अनुदान/आर्थिक सहायता ₹ 1,425.65 करोड़ (चार सा.क्षे.उ.)} का निवेश किया था जिनके लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। जैसाकि अनुलग्नक 2.1(i)में विस्तृत विवरण दिया है। लेखों के अंतिम रूप और अनुगामी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि निवेश व व्यय का उचित ढंग से लेखा जोखा हुआ है और जिस उद्देश्य के लिए राशि का निवेश किया गया था, वह प्राप्त हुआ या नहीं। इस प्रकार, इन सा.क्षे.उ. में सरकार का निवेश विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर रहा।

आगे लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन होने के अतिरिक्त धोखे का जोखिम व जनधन का रिसाव भी हो सकता है। उपरोक्त बकाया लेखों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2015–16 में सा.क्षे.उ. का राज्य स.घ.उ. में वास्तविक योगदान का पता भी नहीं चल सका और उनका राज्य राजकोष में योगदान विधानमंडल को भी सूचित नहीं किया गया।

#### 2.1.10 सा.क्षे.उ. का उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार कार्य निष्पादन

सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति व कार्यशील परिणामों का ब्यौरा अनुलग्नक 2.1(ii) में दिया जा रहा है। सा.क्षे.उ. का टर्नओवर से राज्य स.घ.उ. का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. के प्रसार की गतिविधियों को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका 2.1.6 वर्ष 2015–16 के अंत तक पांच वर्षों की अवधि के लिये कार्यशील सा.क्षे.उ. की टर्नओवर व राज्य के स.घ.उ. को दर्शाता है:

**तालिका 2.1.6: राज्य के स.घ.उ. की तुलना में सा.क्षे.उ. के टर्नओवर का विवरण**  
(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
टर्नओवर <sup>5</sup>	7,341.49	8,465.57	8,415.09	8,210.02	8,597.77
राज्य स.घ.उ.*	3,43,260	3,91,071	4,46,807	4,94,460	5,58,745
राज्य स.घ.उ. से टर्नओवर की प्रतिशतता	2.14	2.16	1.88	1.66	1.54

(ज्ञात: सा.क्षे.उ. से एकत्र की गई सूचना और राज्य स.घ.उ. आंकड़े)

राज्य स.घ.उ. से राज्य सा.क्षे.उ. के टर्नओवर की प्रतिशतता 2011–12 में 2.14 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 1.54 प्रतिशत हो गया।

<sup>5</sup>30 सितम्बर को नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार टर्नओवर

\*राज्य स.घ.उ. आंकड़े आधार वर्ष 2011–12 के चालू मूल्य पर आधारित है।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान सा.क्षे.उ. द्वारा वहन की समग्र हानि नीचे चार्ट 2.1.3 में दी गई है:



सरकारी कंपनी तथा सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम जिसके लिए लेखे तैयार किये गए थे, अनुलग्नक 2.1 (ii) में दिए गए हैं। 01 अक्टूबर 2015 से 30 सितम्बर 2016 तक की अवधि के दौरान, 17 सा.क्षे.उ. में से 12 सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,177.81 करोड़ का लाभ अर्जित किया और चार सा.क्षे.उ. को ₹ 2,917.77 करोड़ की हानि हुई। एक सा.क्षे.उ. ने अपने लेखे “न लाभ न हानि” के आधार पर बनाए। लाभ में मुख्य योगदान प्रगति पॉवर निगम लिमिटेड (₹ 595.83 करोड़), दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (₹ 378.31 करोड़) तथा दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 112.57 करोड़) का रहा। दिल्ली परिवहन निगम को घाटा (₹ 2,917.76 करोड़) हुआ।

सा.क्षे.उ. के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड नीचे तालिका 2.1.7 में दिए गए हैं:

**तालिका 2.1.7: राज्य सा.क्षे.उ. के महत्वपूर्ण मापदण्ड**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)	10.45	17.41	5.21	12.90	8.30
ऋण	19,071.18	18,426.18	18,900.86	18,052.64	17,976.39
टर्नओवर <sup>6</sup>	7,341.49	8,465.57	8,415.09	8,210.02	8,597.77
ऋण/टर्नओवर अनुपात	2.60:1	2.18:1	2.25:1	2.20:1	2.09:1
ब्याज भुगतान	2,140.48	2,341.86	2,655.25	3,117.02	3,456.13
संचित लाभ (हानि)	(15,519.42)	(17,299.73)	(19,507.97)	(21,153.51)	(23,255.91)

स्रोत: सा.क्षे.उ. के नवीनतम अद्यतन वार्षिक लेखों के अनुसार

वर्ष 2011–12 और 2012–13 के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। तत्पश्चात, वर्ष 2013–14 में यह तेजी से गिरा, 2015–16 में 8.30 प्रतिशत गिरने से पहले वर्ष 2014–15 में 12.90 प्रतिशत पुनः बढ़ गया था। टर्नओवर अनुपात में ऋण का अनुपात जो 2011–12 में 2.60:1 था घटकर 2015–16 में 2.09:1 हो गया।

<sup>6</sup>30 सितम्बर 2016 को सा.क्षे.उ. के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार टर्नओवर।

उनके नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, 12 सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,177.81 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया किंतु एक सा.क्षे.उ. अर्थात् दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने ₹ 0.50 करोड़ का लाभांश घोषित किया। शेष 11 सा.क्षे.उ. ने ₹ 1,169.25 करोड़ का लाभ अर्जित करने के बावजूद भी लाभांश घोषित नहीं किया। नवम्बर 2016 तक रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदत्त पूंजी पर न्यूनतम प्रतिफल के लिए कोई लाभांश नीति प्रतिपादित नहीं की गई थी।

### 2.1.11 लेखों पर टिप्पणियां

दस कार्यशील कंपनियों ने अपने 11 लेखापरीक्षित लेखों को अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 की अवधि के दौरान महालेखाकार को अग्रेषित किया। यह सभी लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए। नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और नि.म.ले.प. की पूरक लेखापरीक्षा यह संकेत करती है कि लेखों के अनुरक्षण की गुणवत्ता में वस्तुतः सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के कुल धन मूल्य का विवरण नीचे तालिका 2.1.8 में दिए गए हैं।

**तालिका 2.1.8: कंपनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		लेखों की सं.	राशि	लेखों की सं.	राशि	लेखों की सं.	राशि
1.	लाभ में कमी	3	11.12	-	-	6	359.42
2.	लाभ में वृद्धि	3	68.29	2	0.25	3	339.47
3.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
4.	हानि में वृद्धि	1	554.82	1	2.59	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का उजागर न करना	-	-	1	3.15	1	57.43
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	1	40.17	1	3.54	2	31.36

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने चार लेखों<sup>7</sup> को अयोग्यता प्रमाण—पत्र और छ: लेखों<sup>8</sup> को योग्यता प्रमाण—पत्र प्रदान किया तथा एक लेख<sup>9</sup> को प्रतिकूल (अर्थात् लेखे सत्य और निष्पक्ष स्थिति प्रदर्शित नहीं करते) प्रमाण—पत्र दिया। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई योग्यता के अनुसार दि.पॉ.क.लि. का सूचित लाभ वर्ष 2014–15 में (₹ 45.22 करोड़) घटकर ₹ 316 करोड़ तक हो गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त, दि.पॉ.क.लि. के लेखा पर नि.म.ले.प. की योग्यताओं के प्रभाव पर विचार करने के बाद वर्ष 2014–15 का लाभ ₹ 276.40 करोड़ की हानि में बदल जाएगा। वर्ष के दौरान दो लेखों में लेखा मानकों के गैर—अनुपालन के दो दृष्टांत थे।

<sup>7</sup> शा.पु.वि.नि., दि.रा.ना.आ.नि., दि.प.प.वि.नि. (2015–16) जि.स्पे.दि.लि.

<sup>8</sup> दि.पॉ.क.लि., दि.ट्रां.लि., इं.पॉ.उ.कं.लि., प्र.पॉ.कॉ.लि., दि.प.प.वि.नि. (2014–15), दि.रा.ओ.अ.वि.नि.

<sup>9</sup> दि.प.अ.वि.नि.

इसी तरह से, अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 के दौरान दो सांविधिक निगमों ने अपने लेखे नि.म.ले.प. को अग्रेषित किए। इनमें से, नि.म.ले.प. द्वारा एकल लेखापरीक्षा से संबंधित दिल्ली परिवहन निगम का एक लेखा जो पूर्ण कर लिया गया तथा वर्ष 2014–15 के लिए पृ.ले.प. प्रतिवेदन जारी किया गया था। वर्ष 2015–16 के लिए दिल्ली वित्त निगम का शेष एक लेखा पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया जो कि 30 सितम्बर 2016 तक पूर्ण होना था। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा नि.म.ले.प. की एकल पूरक लेखापरीक्षा ने यह दर्शाया कि लेखों के अनुरक्षण की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। गत तीन वर्षों में लेखापरीक्षित लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों व नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के धन मूल्य का विवरण नीचे तालिका 2.1.9 में दिया गया है:

#### तालिका 2.1.9: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15 <sup>10</sup>		2015-16	
		लेखों की सं.	राशि	लेखों की सं.	राशि	लेखों की सं.	राशि
1.	लाभ में कमी	-	-	-	-	1	0.16
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
3.	हानि में कमी	1	1,306.17	1	24.56	-	-
4.	हानि में वृद्धि	2	2,569.52	1	2,695.74	1	1,978.50
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर न करना	1	1.54	-	-	1	964.04
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	1	116.66	-	-	-	-

#### 2.1.12 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

नीचे दी गई तालिका 2.1.10 नि.म.ले.प. द्वारा सांविधिक निगमों के लेखों पर जारी की गई पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृ.ले.प.प्र.) को विधानमंडल में प्रस्तुति की स्थिति दर्शाती है।

#### तालिका 2.1.10: विधान मंडल में पृ.ले.प.प्र. के प्रस्तुति की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक विधानमंडल में पृ.ले.प.प्र. प्रस्तुत किया गया	जिस वर्ष के लिए पृ.ले.प.प्र. विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं हुआ	
			पृ.ले.प.प्र. का वर्ष	सरकार को जारी करने की तिथि / वर्तमान स्थिति
1.	दिल्ली परिवहन निगम	2014-15	-	-
2.	दिल्ली वित्तीय निगम	2013-14	2014-15	16.10.2015

<sup>10</sup>दि.प.नि. एवं दि.वि.नि. के लिए लेखा टिप्पणियों का प्रभाव वर्ष 2014–15 के लिए है।

### 2.1.13 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन के लिए, एक नि.ले.प. और नौ लेखापरीक्षा पैराग्राफ संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों को छः सप्ताह में उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किए गए। यद्यपि रा.रा.क्षे.दि.स. से उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2016)।

### 2.1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) निर्धारित करती है कि राज्य विधान सभा में नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर कार्रवाई प्रारंभ करेगा तथा उन पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के चार महीने के अंदर सरकार द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। हालांकि 40 प्रतिशत निष्पादन लेखापरीक्षाओं के और 26 प्रतिशत लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर एक्शन टेकन नोट्स 30 सितम्बर 2016 तक प्राप्त नहीं हुए जैसा नीचे तालिका 2.1.11 में चित्रित है:

**तालिका 2.1.11: 30 सितम्बर 2016 तक अप्राप्य एक्शन टेकन नोट्स**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	राज्य विधान मण्डल में प्रतिवेदन रखे जाने की तिथि	समीक्षाओं/पैराग्राफों की संख्या			
		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रदर्शित		लंबित एटीएन	
		नि.ले.प.	पैराग्राफ	नि.ले.प.	पैराग्राफ
2010	05.09.2011	1	8	शून्य	शून्य
2011	06.06.2012	शून्य	5	शून्य	शून्य
2012	02.04.2013	1	3	1	शून्य
2013	01.08.2014 (संसद में)	1	7	शून्य	शून्य
2014	30.06.2015	1	2	शून्य	2
2015	13.06.2016	1	6	1	6
<b>कुल</b>		<b>5</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

### 2.1.15 सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

30 सितम्बर 2016 तक नि.ले.प. तथा पैराग्राफों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में प्रदर्शित किए गए तथा कोगू द्वारा चर्चा की गई, नीचे तालिका 2.1.12 में दिए गए हैं:

**तालिका 2.1.12: 30 सितम्बर 2016 तक लेखापरीक्षा  
प्रतिवेदनों में प्रदर्शित तथा चर्चा किये गये समीक्षा/पैरा**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	समीक्षाओं/पैराग्राफों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रदर्शित		चर्चा किये गए पैरे	
	नि.ले.प.	पैराग्राफ	नि.ले.प.	पैराग्राफ
2010	1	8	शून्य	शून्य
2011	शून्य	5	शून्य	1
2012	1	3	शून्य	शून्य
2013	1	7	शून्य	शून्य
2014	1	2	शून्य	शून्य
2015	1	6	शून्य	4
<b>कुल</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>शून्य</b>	<b>5</b>

**2.1.16 कोगू के प्रतिवेदनों का अनुपालन**

मार्च 2009 तथा मार्च 2015 के बीच राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किए गए कोगू के एक प्रतिवेदन से संबंधित तीन पैराग्राफों के ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए थे (अक्टूबर 2016) जैसा नीचे तालिका 2.1.13 में दर्शाया गया है:

**तालिका 2.1.13: कोगू प्रतिवेदनों का अनुपालन**

कोगू प्रतिवेदन का वर्ष	कोगू प्रतिवेदनों की कुल सं.	कोगू प्रतिवेदन में सिफारिशों की कुल सं.	सिफारिशों की सं. जहां ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए
2010	1	11	11

कोगू के इस प्रतिवेदन में एक<sup>11</sup> उपक्रम के पैराग्राफों से संबंधित सिफारिशों सम्मिलित थी, जो भारत के नि.म.ले.प. के मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन में प्रदर्शित था।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार कोगू की सिफारिशों के अनुसार अनुबंधित समय सीमा<sup>12</sup> के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/ड्राफ्ट पैराग्राफों/नि.ले.प. तथा ए.टी.एन. का जवाब भेजना सुनिश्चित करें।

**2.1.17 सा.क्षे.उ. का विनिवेश, नवीनीकरण और निजीकरण**

वर्ष 2015–16 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. ने किसी भी राज्य सा.क्षे.उ. के विनिवेश, निजीकरण या नवीनीकरण की गतिविधि का आरंभ नहीं किया।

**2.1.18 अध्याय का कवरेज**

इस अध्याय में ‘दिल्ली की पॉवर उत्पादन कंपनियों की कार्यप्रणाली’ ₹ 957.35 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के छ: पैराग्राफ और एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित किये गये हैं।

<sup>11</sup>दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड

<sup>12</sup>निरीक्षण प्रतिवेदन (चार सप्ताह), ड्राफ्ट पैराग्राफों व निष्पादन लेखापरीक्षा (छ: सप्ताह) और कोगू की सिफारिश पर ए.टी.एन. (तीन माह)

## पॉवर विभाग

### 2.2 'दिल्ली की पॉवर उत्पादन कंपनियों की कार्यप्रणाली' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

दिल्ली विद्युत सुधार (हस्तांतरण योजना) नियम, 2001 के अनुरूप राज्य में पॉवर उत्पादन की गतिविधि इंद्रप्रस्थ पॉवर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (इ.पॉ.उ.कं.लि.) और प्रगति पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्र.पॉ.कॉ.लि.) को सौंपी गई थी। इन दो पॉवर उत्पादन कंपनियों के 2011–12 से 2015–16 तक की अवधि की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा अन्य बातों के साथ पॉवर की कम शेड्युलिंग, अनियोजित मुख्य शटडाउन और मरम्मत तथा रखरखाव में देरी के कारण क्षमता वृद्धि कार्यक्रम में कमियां, ईंधन का अधिक उपभोग, उत्पादन लक्ष्यों की गैर प्राप्ति और प्लांट भार घटक मानक की प्राप्ति न होने को दर्शाता है। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

#### मुख्य बिंदु

छिस्कॉम से वसूलनीय ₹ 4,911.07 करोड़ के बकाया बिलों से इ.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के नकद प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ा और कंपनियों को बड़ी मात्रा में अल्पकालीन ऋणों का सहारा लेना पड़ा।

(पैराग्राफ 2.2.2 और 2.2.4.1)

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक नियोजित 3,340 मेगावाट के छ: पॉवर प्लांटों में से मात्र 1,500 मेगावाट प्र.पॉ.स्टे.-III बवाना को चालू किया गया है जबकि बाकी सभी परियोजनाओं को गैस या भूमि उपलब्ध न होने के कारण स्थगित थी। परियोजना के ब्लॉक-I और ब्लॉक-II के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी न करने के कारण और परियोजना को चालू करने में देरी के कारण प्र.पॉ.कॉ.लि. ₹ 474.32 करोड़ की वसूली शुल्क में नहीं कर पाया और यह इकिवटी पर ₹ 163.32 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिफल का लाभ भी नहीं ले सका।

(पैराग्राफ 2.2.5 और 2.2.5.1)

पॉवर प्लांटों का परिचालनीय निष्पादन उप-इष्टतम था। प्लांटों की सकल स्टेशन उष्मा दर मानकों से ऊँची थी जिससे ₹ 125.92 करोड़ के अधिक ईंधन का उपभोग हुआ। राजघाट पॉवर हाउस, गैस टर्बाइन पॉवर स्टेशन और प्र.पॉ.स्टे.-III लक्षित प्लांट उपलब्धता तक नहीं पहुंच पाए जिससे ₹ 616.87 करोड़ के क्षमता प्रभारों की वसूली कम हुई। इसके अतिरिक्त, इन पॉवर प्लांटों की सहायक ऊर्जा उपभोग मानकों से अधिक थी जिससे ₹ 48.04 करोड़ के 154.75 एम.यू. का अधिक उपभोग हुआ।

(पैराग्राफ 2.2.6.1 (ग), 2.2.6.3 (ख) और 2.2.6.5)

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के मानकों के अनुपालन हेतु कोई कार्य योजना बनाए बिना रा.पॉ.हा. की इकाई-2 की ओवरहॉलिंग आरंभ करने के कारण प्लांट निष्क्रिय पड़ा रहा और ओवरहॉलिंग पर किया गया ₹ 15.09 करोड़ का व्यय निष्कल हो गया।

(पैराग्राफ 2.2.7.1)

### 2.2.1 प्रस्तावना

प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण पॉवर की उपलब्धता अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की उन्नति के लिए जरूरी है। पॉवर क्षेत्र के सुधारों के अंग के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स) ने मार्च 2001 में दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुवर्ती इसने 20 नवंबर 2001 को दिल्ली विद्युत सुधार (हस्तांतरण योजना) नियम, 2001 अधिसूचित किया। इसके परिणामस्वरूप राज्य की पॉवर उत्पादन की गतिविधि पॉवर विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन इन्ड्रप्रस्थ पॉवर उत्पादन कंपनी लिमिटेड (इं.पॉ.उ.कं.लि.) और प्रगति पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (प्र.पॉ.कॉ.लि.) को सौंप दी गयी। 31 मार्च 2016 तक इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. की संयुक्त अधिष्ठापित क्षमता 2,106.20 मेगावाट थी जिसमें इं.पॉ.उ.कं.लि. के दो पॉवर स्टेशन राजधानी पॉवर हाउस { (रा.पॉ.हा.): 135 मेगावाट और गैस टरबाइन पॉवर स्टेशन (गै.ट.पॉ.स्ट.): 270 मेगावाट} और प्र.पॉ.कॉ.लि. {प्रगति पॉवर स्टेशन (प्र.पॉ.स्टे.-I): 330 मेगावाट और प्र.पॉ.स्टे.-III, बवाना: 1371.20 मेगावाट} थे।

#### 2.2.1.1 संगठनात्मक ढांचा

इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. का प्रबंधन निदेशकों का एक सामान्य बोर्ड (नि.बो) करता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक प्रबंधक निदेशक, निदेशक और कार्यात्मक निदेशक (निदेशक वित्त, एचआर और तकनीक) होते हैं जिनकी नियुक्ति रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा की जाती है। नि.बो. के शीर्ष पर अध्यक्ष होता है जो रा.रा.क्षे.दि.स. के पॉवर विभाग का पदेन सचिव होता है। प्रबंधक निदेशक मुख्य कार्यकारी होता है जिसकी प्रतिदिन की गतिविधियों में सहायता कार्यात्मक निदेशक, कार्यकारी निदेशक और प्रमुख प्रबंधक करते हैं।

#### 2.2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

प्रमुख लेखापरीक्षा उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या:

- वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन दक्षतापूर्ण, मितव्यतापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से किया गया;
- क्षमता वृद्धि की योजना समुचित ढंग से हुई है और परियोजनाएं दक्षतापूर्ण, मितव्यतापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की गई;
- इनपुट (ईंधन, श्रमशक्ति, इत्यादि) की आवश्यकता का निर्धारण व्यावहारिक था, प्रापण मितव्यता के साथ हुआ और प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया; और
- कंपनियों ने अपने पॉवर प्लांटों की आऊटपुट को अधिकाधिक बढ़ाने के लिए सक्षमता से कार्य किया।

#### 2.2.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा अप्रैल 2016 से अगस्त 2016 तक हुई जिसमें 2011–12 से 2015–16 तक पांच वर्षों को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा में इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के मुख्यालयों और इन कंपनियों के चार पॉवर स्टेशनों के अभिलेखों की जांच की।

लेखापरीक्षा कार्यविधि, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और मानदंडों की चर्चा हेतु प्रबंधन के साथ एक प्रवेश सम्मेलन का आयोजन (अप्रैल 2016) किया गया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर सरकार और प्रबंधन के विचार जानने हेतु प्रतिवेदन को सरकार और प्रबंधन को जारी किया गया (सितम्बर 2016)। प्रबंधन के साथ एक समापन सम्मेलन (सितम्बर 2016) आयोजित किया गया। समापन सम्मेलन में इं.पॉ.उ.कं.लि./प्र.पॉ.कॉ.लि. द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए इस निष्पादन प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया है।

#### 2.2.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा प्राप्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित रौप्तों से प्राप्त मानदंडों पर किया गया:

- परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन के संबंध में राष्ट्रीय विद्युत योजना और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के मानक और दिशानिर्देश;
- के.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित मानक/दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (दि.वि.वि.आ.)/ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (के.वि.वि.आ.) द्वारा अनुमत मानक और पर्यावरणीय मामलों से संबंधित अधिनियम; तथा
- नि.बो. और लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का एजेंडा और कार्यवृत्त।

#### 2.2.1.5 पिछली निष्पादन लेखापरीक्षा

‘दिल्ली में पॉवर उत्पादन की गतिविधियों’ पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प) भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सिविल एवं वाणिज्य), रा.रा.क्षे.दि.स. के 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदन में शामिल की गई थी। इस रिपोर्ट पर विधानसभा की सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगू) में चर्चा किया जाना अभी बाकी है (अगस्त 2016)। प्रबंधन ने पिछली रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू नहीं की जो मुख्य रूप से परियोजना प्रणाली को सशक्त बनाने, स्टेशन ताप दर में सुधार, पॉवर प्लांट के लिए गैस की पर्याप्त उपलब्धता तथा मरम्मत और रखरखाव पद्धति और क्रियाविधि को मजबूत बनाने से संबंधित थी।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 2.2.2 वित्तीय स्थिति और कार्यशील परिणाम

वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 में इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. की वित्तीय स्थिति और कार्यशील परिणाम अनुलग्नक 2.2 क और 2.2 ख में दिए गए हैं।

**2.2.2.1** 2011–16 की अवधि के दौरान दिल्ली में पॉवर वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा पॉवर देयताओं के भुगतान में कमी के कारण इं.पॉ.उ.कं.लि. की व्यापारिक लेनदारी ₹ 810.82 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,740.03 करोड़ और प्र.पॉ.कॉ.लि. में यह ₹ 671.74 करोड़ से ₹ 3,275.63 करोड़ हो गई। पॉवर देयताओं की प्राप्ति न होने से दोनों कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा जिससे उन्हें अपनी दिन–प्रतिदिन के परिचालन व्यय की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु अल्पावधि ऋणों का सहारा लेना पड़ा। इं.पॉ.उ.कं.लि. में अल्पकालीन ऋण 2011–12 में ₹ 222.96 करोड़ से 195.32 प्रतिशत बढ़कर 2015–16 में

₹ 658.44 करोड़ हो गए प्र.पॉ.कॉ.लि. में इसी अवधि के दौरान अल्पकालीन ऋण 263.77 प्रतिशत बढ़कर ₹ 148.58 करोड़ से ₹ 540.49 करोड़ हो गए।

**2.2.2.2** 2011–12 से 2015–16 के दौरान इं.पॉ.उ.कं.लि. में प्रति यूनिट परिवर्ती लागत ₹ 2.97 से बढ़कर ₹ 4.26 हो जाने के कारण उत्पादन की लागत प्रति यूनिट ₹ 4.14 प्रति इकाई से ₹ 10.45 प्रति इकाई हो गई जबकि प्र.पॉ.कॉ.लि. में यह प्रति यूनिट परिवर्ती लागत में ₹ 2.37 से ₹ 3.36 तक बढ़त के कारण ₹ 3.05 प्रति यूनिट से बढ़कर ₹ 6.00 प्रति यूनिट हो गई। प्रति इकाई उत्पादन लागत में यह बढ़ोत्तरी होने के कारण इं.पॉ.उ.कं.लि./प्र.पॉ.कॉ.लि. से डिस्कॉम द्वारा पॉवर की खरीद कम हो गई। औसतन इं.पॉ.उ.कं.लि. पॉवर प्लांट में 32 प्रतिशत (रा.पॉ.हा.) से 37 प्रतिशत (गै.ट.पॉ.स्टे.) तथा प्र.पॉ.कॉ.लि. पॉवर प्लांट में 10 प्रतिशत (प्र.पॉ.स्टे.-I) से 68 प्रतिशत (प्र.पॉ.स्टे.-III) तक उत्पादन क्षमताएं प्रत्येक वर्ष कम उपयोग में रही।

**2.2.2.3** कंपनियां समय पर ऋणों और उनपर ब्याज का भुगतान और निर्धारित तिथियों पर अग्रिम आयकर का भुगतान नहीं कर पाई और ₹ 132.63 करोड़ (ऋणों पर दंडात्मक ब्याज: ₹ 113.96 करोड़ और अग्रिम आयकर पर दंडात्मक ब्याज: ₹ 18.67 करोड़) का दंडात्मक भुगतान किया। 2011–16 के दौरान इं.पॉ.उ.कं.लि. के ब्याज और वित्त प्रभार ₹ 41.79 करोड़ से बढ़कर ₹ 134.52 करोड़ और प्र.पॉ.कॉ.लि. का ₹ 37.32 करोड़ से ₹ 331.38 करोड़ हो गया। ब्याज और वित्त प्रभार बढ़ने से कंपनियों की उत्पादन लागत बढ़ी।

### 2.2.3 योजना

के.वि.प्रा. के अनुमान यह संकेत करते हैं कि 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अंत तक दिल्ली में पॉवर की मांग लगभग 8700 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। 2011–12 से 2015–16 के दौरान दिल्ली की सर्वाधिक मांग की तुलना में पूरी की गई सर्वाधिक मांग के अनुसार पॉवर उपलब्धता का परिदृश्य, ऊर्जा के रूप में पॉवर की संपूर्ण आपूर्ति और इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. का दिल्ली की पॉवर आपूर्ति में योगदान नीचे दिया गया है:

**तालिका 2.2.1: सर्वाधिक मांग बनाम पूरी की गई सर्वाधिक मांग**

वर्ष	सर्वाधिक मांग (मेगावाट)	पूरी की गई सर्वाधिक मांग (मेगावाट)	सर्वाधिक कमी (मेगावाट) (सर्वाधिक मांग का प्रतिशत)	सर्वाधिक मांग पूरा करने के लिए इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. का अंश (मेगावाट)	पूरी की गई सर्वाधिक मांग में इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के अंश की प्रतिशतता	
2011-12	5,031	5,028	3 (0.06)	525	4,503	10.44
2012-13	5,727	5,642	85 (1.48)	804	4,838	14.25
2013-14	5,714	5,653	61 (1.07)	655	4,998	11.59
2014-15	6,006	5,925	81 (1.35)	821	5,104	13.86
2015-16	5,846	5,846	0.00	611	5,135	10.45

स्रोत: स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर रिपोर्ट

### तालिका 2.2.2: ऊर्जा के रूप में संपूर्ण पॉवर आपूर्ति

वर्ष	आवश्यकता (एमयू)	उपलब्धता (एमयू)	कमी (एमयू) (आवश्यकता की प्रतिशतता)	इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. द्वारा निर्धारित ऊर्जा शेड्युल (एमयू)	उपलब्धता की प्रतिशतता
2011-12	26,751	26,674	77 (0.3)	4,540.00	17.02
2012-13	26,088	25,950	138 (0.5)	5,781.94	22.28
2013-14	26,867	26,791	76 (0.3)	4,294.62	16.03
2014-15	29,231	29,106	125 (0.4)	5,191.08	17.84
2015-16	29,626	29,583	43 (0.1)	3,788.06	12.80

स्रोत: के.वि.प्रा. की लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट और इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. द्वारा प्रदत्त आंकड़े

इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. की सर्वाधिक मांग में योगदान सिर्फ 10 से 14 प्रतिशत के बीच था। संपूर्ण पॉवर आपूर्ति में उनका योगदान 13 से 22 प्रतिशत था।

#### 2.2.4 निधि प्रबंधन

प्रभावी निधि प्रबंधन में उपलब्ध संसाधनों एवं ऋणों का अधिकतम उपयोग अनुकूल स्थितियों में उपयुक्त समय में किया जाता है। इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए नकद प्रवाह का विवरण अनुलग्नक 2.3 में दिया गया है। 2011-12 से 2013-14 और 2015-16 के दौरान इं.पॉ.उ.कं.लि. में नकद व नकद समतुल्य में निवल कमी आई। प्र.पॉ.कॉ.लि. में नकद और नकद समतुल्य में वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2015-16 में कमी आई। नकद घाटे के प्राथमिक कारण डिस्कॉम द्वारा पॉवर बिलों के भुगतान में चूक थी।

##### 2.2.4.1 बकाया ऊर्जा बिल

बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड (बी.रा.पॉ.लि.) और बीएसईएस यमुना पॉवर लिमिटेड (बी.य.पॉ.लि.) अक्तूबर 2010 से और टाटा पॉवर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टा.पॉ.दि.डि.लि.) अप्रैल 2014 के बाद से चूककर्ता थे। 31 मार्च 2016 तक उनसे ₹ 4,911.07 करोड़ की धनराशि (इं.पॉ.उ.कं.लि.: ₹ 1,722.54 करोड़ और प्र.पॉ.कॉ.लि.: ₹ 3,188.53 करोड़) वसूली योग्य थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- पीपीए के अनुसार बी.रा.पॉ.लि. तथा बी.य.पॉ.लि. को साख पत्र (सा.प.)<sup>13</sup> रखना आवश्यक था किन्तु मार्च 2011 से नहीं रखे गए। टा.पॉ.दि.डि.लि. द्वारा स्थापित सा.प. 31 मार्च 2014 को समाप्त हो गए और 1 अप्रैल 2014 के उपरांत नहीं रखे गए।
- डिफॉल्ट एस्क्रो करार<sup>14</sup> पर हस्ताक्षर नहीं किए गए; तथा
- इं.पॉ.उ.कं.लि./प्र.पॉ.कॉ.लि. और डिस्कॉम के बीच पॉवर खरीद करार में यह प्रावधान किया गया था कि पॉवर आपूर्ति बिलों के भुगतान में बी.रा.पॉ.लि., बी.य.पॉ.लि. और टा.पॉ.दि.डि.लि. द्वारा लगातार चूक होने की स्थिति में इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. पॉवर आपूर्ति रोकने और 90 दिनों की पूर्व सूचना के बाद करारों को निरस्त करने की कोई कार्रवाई करे।

<sup>13</sup>बी.रा.पॉ.लि., बी.य.पॉ.लि. और टा.पॉ.दि.डि.लि. द्वारा इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. को न्यूनतम बारह माह अवधि और पिछले बारह माह के विलंब पर आधारित एक माह की ओसत बिल राशि का 105 प्रतिशत सम्मिलित करते हुए बिना शर्त, चक्रीय और वसूली न किए जा पाने योग्य साख पत्र प्रदान करना अनिवार्य था

<sup>14</sup>बी.रा.पॉ.लि., बी.य.पॉ.लि. और टा.पॉ.दि.डि.लि. को इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के पक्ष में सा.प. पत्र धनराशि के बराबर वसूली योग्य प्राप्तियों को अनुमानित करना अपेक्षित है।

यद्यपि इं.पॉ.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. ने पॉवर खरीद करार के अनुसार अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। प्रबंधन ने (सितम्बर 2016) बताया कि पॉवर उपभोक्ताओं के हित में, बकाया पॉवर देयताओं के भुगतान में चूक के कारण डिस्कॉमों पर कार्रवाई नहीं की। यह तथ्य फिर भी शेष है कि ₹ 4,911.07 करोड़ के देयताओं की वसूली बाकी है।

#### 2.2.4.2 विचलन प्रभार का भुगतान

उपलब्धता आधारित टैरिफ (उ.आ.टै.) प्रणाली के अंतर्गत जब उनके पॉवर प्लांट पॉवर डिमांड शेड्यूल से ज्यादा/कम उत्पादन करे, जिससे ग्रिड आवृत्ति में विचलन हो, तो कंपनियों को विचलन प्रभार का भुगतान करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के पॉवर प्लांटों में निर्धारित पॉवर डिमांड शेड्यूल से विचलन हुए जो क्षमताओं को घोषित करने में अपर्याप्त मूल्यांकन का संकेत था। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (स्टेट.लो.डि.से.) ने 2011–12 से 2015–16 के दौरान ₹ 26.38 करोड़ के विचलन प्रभार की मांग की जिसका भुगतान करना पड़ा।

#### 2.2.4.3 उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बोनस और प्रोत्साहन

बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (अधिनियम) और लोक उद्यम विभाग (लो.उ.वि.) के निर्देशों (20 नवंबर 1997) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों की हकदारी के अतिरिक्त या इससे अधिक बोनस/अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए मना करता है, जब तक कि यह धनराशि पूर्ण रूप से अनुमोदित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्राधिकृत हो। लो.उ.वि. ने आगे स्पष्ट किया (दिसंबर 2005) कि लो.उ.वि./प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अयोग्य कर्मचारियों को अनुग्रह राशि/बोनस के भुगतान का अनुमोदन करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:-

(क) 2006–07 तक इं.पॉ.उ.कं.लि./प्र.पॉ.कॉ.लि. ने अपने 'बी', 'सी' और 'डी' श्रेणी के कर्मचारियों की उनकी हकदारी के अनुसार अनुग्रह राशि/बोनस का भुगतान किया। यद्यपि 2007–08 के दौरान अधिनियम के प्रावधानों और लो.उ.वि. के निर्देशों से हटते हुए इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. ने सभी नियमित कर्मचारियों को ₹ 5,100 की दर से अनुग्रह राशि/बोनस के भुगतान का अनुमोदन किया (28 दिसम्बर 2007) जिसे पॉवर विभाग (पॉ.वि.) रा.रा.क्षे.दि.स. की अनुमति के बिना ₹ 3,500 की उच्चतम सीमा के विरुद्ध 2007–08 में ₹ 5,100 से प्रति वर्ष बढ़ाकर 2014–15 में ₹ 39,000 कर दिया।

(ख) इं.पॉ.उ.कं.लि./प्र.पॉ.कॉ.लि. की वेतन संशोधन समिति ने योग्य कर्मचारियों के संबंध में अधिनियम के पालन का अनुमोदन करना जारी रखने की अनुमति देते हुए (दिसम्बर 2008) यह सिफारिश की कि बोनस/अनुग्रह राशि के स्थान पर कंपनियां सभी कर्मचारियों के लिए निष्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना निर्धारित करें। इं.पॉ.उ.कं.लि./प्र.पॉ.कॉ.लि. के नि.बो. ने बोनस के स्थान पर अनुग्रह राशि को रोके बिना 01 अप्रैल 2010 से लागू होने वाली 'उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना' (उ.आ.प्रो.यो.) का अनुमोदन किया (26 मार्च 2010)। उ.आ.प्रो.यो. की अवधि को पुनः 2011–12 के लिए बढ़ाया गया (11 जून 2011) और दिसम्बर 2011 में लो.उ.वि. द्वारा अनुमोदित किया गया। यद्यपि इस प्रस्ताव को रा.रा.क्षे.दि.स. के समक्ष रखते हुए यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया।

कि कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस के स्थान पर अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त नि.बो. ने वर्तमान उ.आ.प्रो.यो. के समयावधि को 2011–12 के बाद, संशोधित उ.आ.प्रो.यो. योजना के कार्यान्वयन होने तक बढ़ाने का भी अनुमोदन किया (25 जून 2012)।

इस प्रकार इ.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. ने उन कर्मचारियों को जो पात्र नहीं थे, को बोनस के स्थान पर अनुग्रह राशि का भुगतान किया और पात्र कर्मचारियों को निर्धारित सीमा (₹ 3,500) से अधिक का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप 2011–12 से 2014–15 के दौरान ₹ 13.68 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया। उ.आ.प्रो.यो. के अंतर्गत 2012–13 से 2015–16 के दौरान ₹ 14.46 करोड़ के प्रोत्साहन का भुगतान भी रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा योजना का अनुमोदन प्राप्त किए बगैर किया गया।

प्रबंधन ने सितम्बर 2016 में बताया कि लो.उ.वि. के निर्देश/दिशानिर्देश इ.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. पर लागू नहीं होते और कंपनियों के निदेशक बोर्ड (नि.बो.) में, जिसके प्रमुख सचिव (पॉवर), रा.रा.क्षे.दि.स. होते हैं, उनमें अपने कर्मचारियों हेतु नीतियों का निर्धारण करने की शक्ति विहित है, जिसमें अनुग्रह राशि योजना या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भी सम्मिलित हैं। यद्यपि, प्रबंधन कंपनियों को लो.उ.वि. निर्देशों को लागू न करने के संबंध में निर्देश प्रदान नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त ये योजनाएं पॉ.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनुमोदित नहीं थीं।

#### 2.2.4.4 झा.लो.ना. बर्नर और सीवेज शोधन प्लांटों पर व्यय

प्र.पॉ.कॉ.लि. ने प्र.पॉ.स्टे.-I में नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्पर्जन स्तर के नियंत्रण हेतु ड्राई लो नाइट्रोजन ऑक्साइड (झा.लो.ना.) बर्नर अधिष्ठापित किए। प्र.पॉ.कॉ.लि. ने प्र.पॉ.स्टे.-I में शोधित सीवर जल के प्रयोग हेतु दिल्ली गेट ड्रेन और सेन नर्सिंग होम ड्रेन सीवेज जल शोधन प्लांट (सी.ज.शो.प्ला.) का अधिकार दिल्ली जल बोर्ड से ले लिया। वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 की एमवाईटी नियंत्रण अवधि के दौरान दि.वि.वि.आ. ने झा.लो.ना. बर्नरों पर प्रतिवर्ष ₹ 15 करोड़ का अनुमोदन किया और सी.ज.शो.प्ला. के प्रचालन एवं रखरखाव हेतु 2012–13 में ₹ 3.27 करोड़, 2013–14 में ₹ 3.53 करोड़ और 2014–15 के दौरान ₹ 3.81 करोड़ का अनुमोदन किया। 2012–14 के दौरान प्र.पॉ.कॉ.लि. ने झा.लो.ना. बर्नरों के लिए ₹ 13.05 करोड़ और सी.ज.शो.प्ला. के प्रचालन व अनुरक्षण व्यय हेतु ₹ 8.08 करोड़ का दावा किया। दि.वि.वि.आ. ने यह जानने पर कि जिस व्यय का दावा किया गया है, उसके सत्यापन हेतु भुगतान पर्चियां नहीं हैं, ₹ 21.13 करोड़ के व्यय को अस्वीकृत कर दिया (सितम्बर 2015)। प्र.पॉ.कॉ.लि. ने वि.अ.न्या. के समक्ष एक अपील दायर की, जिसपर निर्णय लंबित है।

#### 2.2.5 क्षमता वृद्धि कार्यक्रम

पॉवर उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए, रा.रा.क्षे.दि.स. ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के अंत में 3,340 मेगावाट के छ:<sup>15</sup> पॉवर प्लांट चालू करने का लक्ष्य बनाया (2012)। इनमें

<sup>15</sup>रा.रा.क्षे.दि.स. ने बवाना का 1500 मेगावाट जून 2007 में अनुमोदित किया, बमनौली का 750 मेगावाट रा.रा.क्षे.दि.स. ने फरवरी 2011 में अनुमोदित किया, बाकी के चार संयंत्र हैं 350 मेगावाट का कंजावला में, 350 मेगावाट का आईपी स्टेशन के स्थल पर, 330 मेगावाट का रा.पॉ.हा. के स्थल पर और 270 मेगावाट के गै.ट.पॉ.स्टे. के स्थान पर 330 मेगावाट का इ.पा.उ.कं. के नि.बो. ने सितम्बर 2011 में अनुमोदित किया।

से तीन पॉवर प्लांट<sup>16</sup> को गैस न उपलब्ध होने के कारण स्थगित कर दिया गया। इंद्रप्रस्थ पॉवर स्टेशन पर स्थित पॉवर प्लांट को भूमि उपलब्ध न होने के कारण छोड़ दिया गया (जनवरी 2013) और 270 मेगावाट गै.ट.पॉ.स्टे. के संदर्भ में रा.रा.क्षे.दि.स. का निर्णय नवंबर 2016 तक प्रतीक्षित है। मात्र 1500 मेगावाट का प्र.पॉ.स्टे.-III बवाना मार्च 2014 में चालू किया गया। इस प्रकार क्षमता वृद्धि कार्यक्रम की संकल्पना और परियोजना यथार्थवादी नहीं थी क्योंकि वह गैस और भूमि जैसे महत्वपूर्ण कारकों का आकलन करने में विफल रहे।

#### 2.2.5.1 बवाना में गैस आधारित पॉवर परियोजना का कार्यान्वयन

रा.रा.क्षे.दि.स. की 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन (सिविल तथा वाणिज्य) के पैरा 5.2.12 में बवाना में गैस आधारित पॉवर परियोजना प्र.पॉ.स्टे.-III के कार्यान्वयन में देरी को प्रदर्शित किया गया। प्र.पॉ.कॉ.लि. ने बीएचईएल को ₹ 3,500 करोड़ में एक अभियांत्रिकी प्राप्त एवं अधिष्ठापन (अ.प्रा.अ.) का करार किया (30 अप्रैल 2008)। इस करार के अनुसार ब्लॉक-I को 31 जुलाई 2010 और ब्लॉक-II को 30 नवम्बर 2010 तक चालू होना था। इसके बाद स्थल पर विस्तृत अभियांत्रिकी और प्रचालनगत स्थितियों के आधार पर प्लांट की क्षमता 1,371.20 मेगावाट ₹ 4,536.20 करोड़ की अनुमानित लागत पर निर्धारित की गयी। ब्लॉक-I 14 दिसम्बर 2012 और ब्लॉक-II 27 मार्च 2014 को चालू किया गया। 27 मार्च 2014 को प्र.पॉ.कॉ.लि. ने परियोजना पर ₹ 4,355.19 करोड़ का व्यय किया। लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य सामने आए:

(i) ब्लॉक-I को चालू करने में 28½ माह और ब्लॉक-II चालू होने में 40 माह की देरी हुई। इसका कारण प्र.पॉ.कॉ.लि. ने बीएचईएल द्वारा परिवहन तथा परियोजना के शुरू होने में देरी को बताया, कंपनी परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने और मैसर्स बीएचईएल से निर्धारित समय सीमा का पालन करवाने में भी विफल रहा। इन सभी कारकों पर प्रभावी निगरानी द्वारा नियंत्रण किया जा सकता था। विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (वि.अ.न्या.) के निर्णय (27 अप्रैल 2011 को महाराष्ट्र राज्य पॉवर उत्पादन कंपनी लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग और अन्य के मामले में अपील सं. 72/2010) में निर्धारित सिद्धांत<sup>18</sup> के अनुसार प्र.पॉ.कॉ.लि. कुल ₹ 474.32 करोड़ निर्माण के दौरान ब्याज (₹ 407.69 करोड़), विदेशी मुद्रा दर विचलन (₹ 11.11 करोड़) और निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (₹ 55.52 करोड़) शुल्क में वसूल नहीं कर पाया।

(ii) परियोजना को चालू होने में देरी के कारण इक्विटी पर प्र.पॉ.कॉ.लि. ₹ 163.32 करोड़<sup>19</sup> के अतिरिक्त प्रतिलाभ (0.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से) का लाभ नहीं ले पाया जोकि के.वि.वि.आ. (शुल्क के नियम तथा शर्तें) नियमन, 2009 के अनुसार स्वीकार्य था।

<sup>16</sup>बमनौली में 750 मेगावाट (अगस्त 2011), (पैरा 2.2.5.2) 350 मेगावाट कंजावला (अगस्त 2012) और 330 मेगावाट राजघाट स्थल पर (अगस्त 2014)।

<sup>17</sup>प्रत्येक ब्लॉक में दो गैस टर्बाइन जनरेटर, उससे संलग्न वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर और उनसे जुड़े हुए स्टीम टर्बाइन जनरेटर होते हैं।

<sup>18</sup>बिजली उत्पादन परियोजना के कार्यान्वयन में ऐसे विलंब के लिए जिसके लिए पूर्णतः उत्पादन कंपनी जिम्मेदार हो, समयावधि अधिक हो जाने की पूरी लागत उत्पादक कंपनी ही उठाएगी। यद्यपि परिसमाप्त हर्जाना और बीमे से प्राप्त धनराशि, यदि कोई हो, तो उत्पादन कंपनी उसे रख सकती है।

<sup>19</sup>कुल लागत ₹ 4,355.19 करोड़ × 30 प्रतिशत (लागत को के.वि.वि.आ. के विनियमों के अनुसार इक्विटी माना जाएगा) × 0.50 प्रतिशत × 25 (परियोजना अवधि)।

(iii) किसी भी पूर्ण की गई सुविधा के सफल प्रारंभिक प्रचालन पूर्ण होने के बाद किए जाने वाले निष्पादन गारंटी परीक्षण, जो कि परियोजना के चालू होने के बाद दो वर्ष बीत जाने पर भी, नहीं किए गए थे।

प्रबंधन ने बताया कि के.वि.वि.आ. द्वारा गलती से ब्याज की अनुमति नहीं दी गई। 2015 में वि.अ.न्या. में एक याचिका दायर की गई है।

#### 2.2.5.2 बमनौली में 750 मेगावाट पॉवर परियोजना

प्र.पॉ.कॉ.लि. ने बीएचईएल को बमनौली पॉवर परियोजना के लिए परियोजना के ऊपर से गुजरने वाली 400 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाईन के स्थानांतरण हेतु ₹ 128.34 करोड़ और पॉवर स्टेशन बनाने के लिए ₹ 1,064.90 करोड़ की लागत पर आशय पत्र (आ.प.) बी.एच.इ.एल को जारी किया (29 मार्च 2011)। अगस्त 2011 में रा.रा.क्षे.दि.स. ने प्र.पॉ.कॉ.लि. को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) / भारत सरकार (भा.स.) से गैस आवंटन के किसी ठोस आश्वासन के बिना परियोजना पर कोई व्यय न करने की सलाह दी। परियोजना के लिए गैस आवंटन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्र.पॉ.कॉ.लि. ने जुलाई 2016 तक ₹ 98.56 करोड़ का व्यय किया तथा एक करार किया (नवंबर 2011)। इस परियोजना में आगे कोई प्रगति अभी तक नहीं देखी गई।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि इस परियोजना का क्रियान्वयन भूमि की पूर्व-आवश्यकता से जुड़ा था और उपलब्ध भूमि प्राप्त करने के लिए वर्तमान ट्रांसमिशन लाईनों के स्थानांतरण का कार्य आरंभ किया गया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ओवरहेड लाईनों के स्थानांतरण के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पॉवर प्लांट के लिए गैस की उपलब्धता के कोई आश्वासन के बिना ही करार किया गया। करार करने के समय गैस का आवंटन नहीं हुआ था और नवम्बर 2016 तक भी यही स्थिति है।

#### 2.2.6 प्रचालनीय निष्पादन

पॉवर उत्पादन कंपनियों के प्रचालन इनपुट जैसे ईंधन और श्रमशक्ति पर निर्भर है, जिसमें आउटपुट प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट उपलब्धता, क्षमता उपयोग, आउटेज और पूरक उपभोग से संबंधित है। 2011–12 से 2015–16 के दौरान इ.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के उत्पादन केंद्रों का प्रचालनीय निष्पादन अनुलग्नक 2.5 से अनुलग्नक 2.8 में दिया गया है जो यह दर्शाता है कि पुनरीक्षण अवधि में प्रचालनीय निष्पादन वर्ष दर वर्ष कम हुआ है। ईंधन की खपत मानकों से अधिक थी। उत्पादन केंद्र उत्पादन लक्ष्य, प्लांट लोड फैक्टर, प्लांट उपलब्धता और क्षमता उपयोग के मानकों को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।

#### 2.2.6.1 इनपुट प्रभाविता

##### (क) कोयला प्रबंधन

**कोयला प्राप्ति:** इ.पॉ.उ.कं.लि. ने राजघाट पॉवर हाउस (रा.पॉ.हा.) के लिए कोयला आपूर्ति हेतु मै. नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड (नॉ.को.फी.लि.) के साथ एक ईंधन आपूर्ति करार (ई.आ.क.) किया। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (दि.वि.वि.आ.) ने कोयले की औसत कैलोरीफिक मूल्य 2011–12 में 3,601 कि.कै. और 2012–13 से 2015–16 तक 3,703 कि.कै. निर्धारित की। 2012–13 से 2015–16 के दौरान केंद्र पर प्राप्त वास्तविक कोयला

3,671 कि.कै. से 3,699 कि.कै. तक था जो कि दि.वि.वि.आ. के मानकों से कम था। कोयले की कम कैलोरीफिक मूल्य कोयले की खपत को प्रभावित करता है और लागत को बढ़ाती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ई.आ.क. में कोयले के आकार और अत्यधिक राख की मात्रा को निर्दिष्ट किया लेकिन कोयले की कैलोरीफिक मूल्य की प्रतिबद्धता का संकेत नहीं दिया था। कंपनी ने प्राप्त कोयले की कम कैलोरीफिक मूल्य के बारे में आपूर्तिकर्ता के साथ मामला नहीं उठाया।

प्रबंधन ने स्वीकार (सितम्बर 2016) किया कि ई.आ.क. में इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं था।

**अस्वीकृत कोयले का निपटान नहीं करना:** पिसाई की प्रक्रिया के दौरान कोयला मिलों द्वारा अस्वीकृत कोयले को निर्दिष्ट क्षेत्र में डाल दिया जाता है। स्क्रैप और आधिक्य पहचान व निपटान समिति (स्क्रै.आ.प.नि.स.) ने रा.पॉ.हा. में अस्वीकृत कोयले के रूप में पड़े 32,000 मेट्रिक टन (मे.ट.) कोयले को ई— नीलामी के माध्यम से निपटाने की सिफारिश की (मार्च 2014)। प्रबंधन ने फरवरी 2015 रा.पॉ.हा. से प्रत्येक वर्ष के आधार पर अस्वीकृत कोयले का विवरण प्रदान करने को कहा और स्क्रै.आ.प.नि.स. की सिफारिशों के आधार पर 32,000 मे.ट. अस्वीकृत कोयले का निपटान ₹ 650 प्र.मे.ट. के आरक्षित मूल्य पर करने का निर्देश दिया। यद्यपि, प्लांट प्राधिकारियों ने आवश्यक विवरण प्रदान नहीं किया और अस्वीकृत कोयला नवम्बर 2016 तक भी बेचा नहीं जा सका और इ.पॉ.उ.कं.लि. को ₹ 2.08 करोड़ (32,000 मे.ट. के लिए ₹ 650 प्रति मे.ट. की दर पर प्राक्कलित) के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

**ट्रांजिट में घाटा:** दि.वि.वि.आ. ने ट्रांजिट में घाटे हेतु अधिकतम 0.8 प्रतिशत के मानक निर्धारित किये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ट्रांजिट घाटा मानकों की तुलना में 0.60 से 4.01 प्रतिशत के बीच था जिसके फलस्वरूप समीक्षाधीन अवधि के दौरान ₹ 6.05 करोड़ के 23,169.93 मे.ट. कोयले का घाटा हुआ।

#### (ख) गैस हेतु समझौते

**प्र.पॉ.स्टे.-III, बवाना को केजी बेसिन गैस की आपूर्ति के लिए करार:** प्र.पॉ.कॉ.लि. ने जून 2012 में केजी बेसिन से प्र.पॉ.स्टे.-III बवाना को गैस की आपूर्ति और परिवहन हेतु तीन करार किए अर्थात् (i) तीन निजी कंपनियों के समूह के साथ 0.836 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन (मि.मे.स्टै.क्यू.मी.प्र.दि.) गैस प्र.पॉ.स्टे.-III बवाना को आपूर्ति हेतु (ii) एक निजी कंपनी के साथ जो पूर्व तट से पश्चिम तट तक गैस को पहुंचाएगा और (iii) गोल (इंडिया) लिमिटेड के साथ जो आगे पश्चिम तट से बवाना प्लांट तक गैस को पहुंचाएगा। करारों में न्यूनतम गारंटी आफटेक, मिनिमम शिप ऑर पे और पाईपलाईनों से गैस की प्रतिदिन निकासी जैसे शर्त थीं। जुलाई 2012 से फरवरी 2013 के बीच कम पॉवर शेड्युलिंग के कारण, प्लांट प्राधिकारी न्यूनतम गारंटी गैस का उपयोग करने में सफल नहीं रहे जिसके फलस्वरूप ₹ 28 करोड़<sup>20</sup> का जुर्माना देना पड़ा।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि गैस आपूर्तिकर्ता ने प्र.पॉ.कॉ.लि. को 1 मार्च 2013 को सूचित किया कि पॉवर उपभोक्ताओं की तुलना में उर्वरक और एलपीजी गैस की आपूर्ति की भारत

<sup>20</sup>अगस्त 2012 में कंपनियों के समूह को ₹ 0.80 करोड़ मासिक न्यूनतम मात्रा का 80 प्रतिशत न लेने के कारण, ₹ 10.13 करोड़ न्यूनतम मात्राओं के परिवहन मात्राओं के परिवहन ना होने के कारण, और गोल को ₹ 17.07 करोड़ पाईपलाईन में न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत से अधिक असंतुलन रखने के कारण

सरकार द्वारा सूचित प्राथमिकताओं में परिवर्तन के फलस्वरूप बवाना प्लांट को केजी बेसिन गैस की आपूर्ति तुरन्त समाप्त हो जाएगी। यद्यपि प्र.पॉ.कॉ.लि. ने गेल के साथ किए गए परिवहन करार को निरस्त नहीं किया और 2013–14 के दौरान न्यूनतम परिवहन प्रभार के रूप में ₹ 29.68 करोड़ का भुगतान किया। केजी बेसिन से गैस की आपूर्ति का करार 31 मार्च 2014 को समाप्त हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि करार में कोई एकिजट क्लॉज नहीं था। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मैसर्स गेल के साथ परिवहन करार में प्रावधान है कि यदि करार में एक पार्टी को किसी अप्रत्याशित घटना के कारण अपने दायित्वों को निभाने से रोका जाता है या बाधित किया जाता है तो करार समाप्त किया जा सकता है। सरकार के कृत्य जो कि पार्टीयों की दायित्वों को निभाने की योग्यता को प्रभावित करती है, अप्रत्यशित घटना में शामिल है। इसलिए न्यूनतम परिवहन शुल्क की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए इन संविदात्मक प्रावधानों को लागू करके अनुबंध समाप्त किया जा सकता था जबकि विशेष रूप से अनुबंध किसी भी घटना पर 31 मार्च 2014 को समाप्त हो रहा था।

### (ग) ईंधन का उपभोग

ईंधन का उपभोग मुख्यतः पॉवर प्लांटों की “सकल स्टेशन ऊषा दर” (स.स्टे.ऊ.द.)<sup>21</sup> पर निर्भर है। दि.वि.वि.आ. और के.वि.वि.आ. ने अपने बहुवर्षीय टैरिफ विनियमनों (ब.टै.वि.) में रा.पॉ.हा., गै.ट.पॉ.स्टे., प्र.पॉ.स्टे.–I और प्र.पॉ.स्टे.–III, बवाना के लिए स.स्टे.ऊ.द. मानक निर्धारित किए। 2011–12 से 2015–16 के दौरान दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित स.स्टे.ऊ.द. मानकों की स्थिति की तुलना में चार पॉवर प्लांटों द्वारा प्राप्त स.स्टे.ऊ.द. दर नीचे दी गई है:

**तालिका 2.2.3: ईंधन खपत मानकों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां**

प्लांट का नाम	दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. मानकों की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां (किलो कैलोरी/किलो वाट में)	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
रा.पॉ.हा.	दि.वि.वि.आ. मानक	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
	प्राप्त वास्तविक	3,072	3,340	3,375	3,368	3,292
गै.ट.पॉ.स्टे.	दि.वि.वि.आ. मानक	ओसी <sup>22</sup>	3,125	3,125	3,125	3,125
		सीसी <sup>23</sup>	2,450	2,450	2,450	2,400
	प्राप्त वास्तविक	ओसी	3,391	3,448	3,441	3,473
		सीसी	2,489	2,445	2,424	2,503
प्र.पॉ.स्टे. I	दि.वि.वि.आ. मानक	ओसी	2,900	2,900	2,900	2,900
		सीसी	2,000	2,000	2,000	2,000
	प्राप्त वास्तविक	ओसी	3,095	3,121	3,161	3,188
		सीसी	1,988	1,989	1,990	1,997
प्र.पॉ.स्टे. III	के.वि.वि.आ. मानक	ओसी	2,756	2,756	2,756	2,756
		सीसी	1,845	1,845	1,845	1,845
	प्राप्त वास्तविक	ओसी	2,991	3,722	3,031	2,817
		सीसी	0*	2,041	1,971	1,867

ज्ञोत: इ.पॉ.ऊ.कॉ.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. द्वारा प्रदत्त आंकड़े

\* क्योंकि प्र.पॉ.स्टे. III पूरी तरह चालू नहीं था

<sup>21</sup>सकल स्टेशन ऊषा दर (स.स्टे.ऊ.द.) का अर्थ ताप विद्युत स्टेशन के उत्पादन टर्मिनल में एक कि.वा.घं. विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने हेतु कि. कै. में ऊषा ऊर्जा इनपुट।

<sup>22</sup>ओपन साईकल

<sup>23</sup>कंबाइंड साईकल

जैसा कि उपर से स्पष्ट है कि संवीक्षित अवधि के दौरान सभी चारों पॉवर प्लांटों की स.स्टे.ऊ.द. मानकों से अधिक थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 125.92 करोड़ मूल्य के ईंधन की अधिक खपत हुई (अनुलग्नक 2.4)।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि ईंधन का अधिक उपभोग इकाईयों के बार-बार चालू और बंद होने के कारण तथा कम शेड्युलिंग के कारण प्लांटों के आंशिक लोड पर चलने के कारण हुआ। लेखापरीक्षा ने देखा कि प्लांट प्राधिकारी ने संवीक्षित अवधि के दौरान मशीनों के लिए कोई निष्पादन गारंटी टेस्ट नहीं करवाया जो उच्च स्टेशन ताप दर के कारणों का पता लगा सके।

#### 2.2.6.2 मैनपॉवर प्रबंधन

इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. की मैनपॉवर 2011–12 के आरंभ में 1,396 थी जो 2015–16 के अंत में कम होकर 1,189 हो गई। यद्यपि अभी भी मैनपावर थर्मल पॉवर स्टेशनों के लिए के.वि.प्रा. के मानदंडों से अधिक थी जैसा नीचे तालिका 2.2.4 में दिया गया है:—

**तालिका 2.2.4: के.वि.प्रा. की तुलना में रा.पॉ.हा. में मैनपॉवर**

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	राजघाट पॉवर हाउस की अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	135	135	135	135	135
2	वेतन पंजिका के अनुसार कर्मचारियों की सं.	417	369	353	345	268
3	के.वि.प्रा. मानक 1.1 व्यक्ति प्रति मेगावाट के अनुसार आवश्यक मैनपॉवर (सं.)	149	149	149	149	149
4	अधिक तैनाती (सं.)	268	220	204	196	119
5	कर्मचारियों पर व्यय—वेतन और भत्ते (₹ करोड़ में) (वेतन पंजिका के अनुसार)	26.39	25.80	25.68	26.64	25.60
6	के.वि.प्रा. मानकों के संदर्भ में व्यय की अधिकता (₹ करोड़ में) ( $5 \times 4 / 2$ )	16.96	15.38	14.84	15.13	11.37

ओत: इं.पॉ.उ.कं.लि. द्वारा प्रदत्त आंकड़े

के.वि.प्रा. के मानदंडों के संदर्भ में अतिरिक्त मैनपॉवर के कारण कर्मचारियों को दिये गए वेतन तथा लाभों पर पर ₹ 73.68 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि रा.पॉ.हा. एक छोटा सा प्लांट है और इसके अनेक गैर-मशीनी प्रचालन है और इसकी तुलना बड़ी क्षमता वाले/नई प्रौद्योगिकी आधारित प्लांटों से नहीं की जा सकती।

#### 2.2.6.3 आउटपुट दक्षता

इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के पॉवर स्टेशनों की आउटपुट दक्षता के संदर्भ में विभिन्न पैरामीटरों पर निष्पादन के मूल्यांकन हेतु निष्पादन प्रचालन पर नीचे चर्चा की गई है।

### (क) उत्पादन लक्ष्य और प्लांट लोड़ फैक्टर

प्रत्येक वर्ष के पॉवर उत्पादन के लक्ष्यों को के.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित किया जाता है। दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. भी पॉवर प्लांटों के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करता है। के.वि.प्रा. और दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 2011–12 से 2015–16 में प्राप्त लक्ष्य **अनुलग्नक 2.5** में दिए गए हैं। 2011–12 से 2015–16 के दौरान पॉवर प्लांट 54,436.810 एम.यू. के लक्ष्य के विपरीत मात्र 25,724.233 एम.यू. पॉवर का ही उत्पादन कर पाए जिससे 28,712.577 एम.यू. (52.74 प्रतिशत) की कमी पाई गई। उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति न होने का प्रमुख कारण पॉवर प्लांटों का कम प्लांट लोड़ फैक्टर (पीएलएफ) था।

दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित प्लांट.लो.फै. की तुलना में 2011–12 से 2015–16 के दौरान पॉवर प्लांटों द्वारा प्राप्त की गई प्लांट.लो.फै. **अनुलग्नक 2.5** में दी गई है। प्लांट.लो.फै. के विश्लेषण से पता चला कि 2011–12 एवं 2012–13 में प्र.पॉ.स्टे.-I के सिवा कोई भी पॉवर प्लांट दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित मानक प्राप्त नहीं कर सका। न्यून प्लांट.लो.फै. के मुख्य कारण प्लांट की कम उपलब्धता, कम होती हुई क्षमता उपयोगिता, पॉवर की कम शेड्यूलिंग, अनिर्धारित मुख्य शटडाउन और मरम्मत व रखरखाव में देरी थे।

### (ख) प्लांट की उपलब्धता

प्लांट उपलब्धता प्रतिदिन घोषित क्षमताओं का स्टेट लोड़ डिस्पैच सेंटर (स्टे.लो.डि.से.) द्वारा प्रमाणित औसत है। दि.वि.वि.आ./के.वि.वि.आ. द्वारा निर्धारित नियामक वार्षिक प्लांट उपलब्धता घटक (नि.वा.प्लां.उ.घ.) की तुलना में 2011–12 से 2015–16 के दौरान पॉवर प्लांटों द्वारा प्राप्त नि.वा.प्लां.उ.घ. को **अनुलग्नक 2.6** में दिया गया है। 2011–12 से 2015–16 के दौरान मात्र प्र.पॉ.स्टे.-I ही नि.वा.प्लां.उ.घ. प्राप्त कर सका। रा.पॉ.हा. में यह किसी भी वर्ष प्राप्त न हो सका। गै.ट.पॉ.स्टे. 2014–15 और 2015–16 में नि.वा.प्लां.उ.घ. प्राप्त नहीं कर सका और प्र.पॉ.स्टे.-III 2011–12 और 2015–16 में यह प्राप्त नहीं कर सका। नि.वा.प्लां.उ.घ. प्राप्त न होने के कारण इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. 2011–12 से 2015–16 के दौरान डिस्कॉम से ₹ 616.87 करोड़ क्षमता प्रभार वसूल नहीं कर सके। नि.वा.प्लां.उ.घ. का पॉवर प्लांटों द्वारा प्राप्त न किये जाने के मुख्य कारण सामयिक रखरखाव शेड्यूल की गैर अनुपालना के कारण बढ़े हुए आउटेज, कम होती क्षमता उपयोगिता, मुख्य शटडाउन और मरम्मत तथा रखरखाव में देरी थी।

### (ग) क्षमता उपयोग

क्षमता उपयोग से अर्थ प्रचालन के वास्तविक घंटों के दौरान वास्तविक उत्पादन से संभावित उत्पादन का अनुपात है। इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. पॉवर प्लांट की क्षमता उपयोग में 2011–12 और 2015–16 के बीच कमी आई (**अनुलग्नक 2.5**)। रा.पॉ.हा. में यह 86 से कम होकर 80 प्रतिशत, जबकि गै.ट.पॉ.स्टे. में 80 से कम होकर 72 प्रतिशत, प्र.पॉ.स्टे.-I में 92 से 74 प्रतिशत और प्र.पॉ.स्टे.-III, बवाना में यह 2011–12 में 72 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 57 प्रतिशत हो गई। कम होते क्षमता उपयोग का मुख्य कारण पुरानी उत्पादन इकाईयां, बहुत अधिक आकर्षिक आउटेज के कारण बार-बार इकाई ठप होना, मरम्मत व रखरखाव में देरी और इकाईयों का आंशिक/बिना लोड संचालित होना थे।

पॉवर स्टेशन 47 प्रतिशत की कम क्षमता स्तर पर संचालित थे। नियामक प्लां.लो.फै. प्राप्त न होने के कारण पॉवर प्लांटों की औसतन 10 से 68 प्रतिशत क्षमता अनुपयोगित रही और इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. डिस्कॉम से ₹ 616.87 करोड़ के क्षमता प्रभार की वसूली न कर सके।

#### 2.2.6.4 आउटेज

आउटेज वह अवधि है जब प्लांट नियोजित/आकस्मिक मरम्मत के लिए बंद रहते हैं। रा.पॉ.हा., गै.ट.पॉ.स्टे., प्र.पॉ.स्टे.-I और प्र.पॉ.स्टे.-III के कुल उपलब्ध घंटे, संचालन के घंटे, नियोजित व आकस्मिक आउटेज का विवरण अनुलग्नक 2.7 में दिया गया है। इस संबंध में अभ्युक्तियां तालिका 2.2.5 में हैं:

**तालिका 2.2.5: आउटेज**

प्लांट का नाम	वास्तविक संचालन के घंटे	फोर्सड आउटेज <sup>24</sup>	बैंकिंग डाऊन घंटे <sup>25</sup>
रा.पॉ.हा.	2011–12 में 80.44 प्रतिशत से घटकर 2015–16 में 4.91 प्रतिशत हो गया।	8.63 प्रतिशत (2014–15) से 95.00 प्रतिशत (2015–16) के बीच था। ट्यूब से रिसाव, कोयले की कमी, भट्टी का उच्च दाब, फ्लेम फेल्यूर, टर्बाइन समस्याओं के कारण यह 2014–15 के अलावा सभी वर्षों में उपलब्ध घंटों के 10 प्रतिशत की के.वि.प्रा. की अधिकतम सीमा से अधिक था।	2011–14 के दौरान 0.38 से बढ़कर 43.76 प्रतिशत हो गया जो 2014–15 में कम होकर 31.38 प्रतिशत हो गया।
गै.ट.पॉ.स्टे.	2011–13 के दौरान 64.95 से बढ़कर 65.86 प्रतिशत हो गया लेकिन 2013–16 के दौरान कम होकर 27.20 प्रतिशत हो गया।	1.45 प्रतिशत (2012–13) से 13.29 प्रतिशत (2014–15) के बीच था। ये डीजल इंजन की खराबी, ज्यादा कंपन, गैस/नियंत्रण वाल्व में खराबी, विभिन्न प्रकार का रिसाव, तारों में आग लगना, सहायक पॉवर आपूर्ति ठप होना और प्रणाली में झटकों के कारण 2014–16 के दौरान के.वि.प्रा. की अधिकतम सीमा से अधिक थे।	2011–16 के दौरान 27.57 से बढ़कर 61.17 प्रतिशत हो गया।
प्र.पॉ.स्टे..I	2011–16 के दौरान 96.18 से कम होकर 70.80 प्रतिशत हो गया।	ये मानकों के भीतर था।	2011–16 के दौरान 1.48 से बढ़कर 21.74 प्रतिशत था।
प्र.पॉ.स्टे..III	17.94 प्रतिशत (2013–14) से 57.54 प्रतिशत (2012–13) के बीच था।	1.94 प्रतिशत (2013–14) से बढ़कर 20.80 प्रतिशत (2015–16) हो गया। मुख्यतः गै.ट.इ. 1 का रोटर खराब होने और गै.ट.इ. 3 के जनरेटर ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण ये 2015–16 के दौरान के.वि.प्रा. की अधिकतम सीमा से अधिक थी।	38.97 प्रतिशत (2012–13) से बढ़कर 77.09 प्रतिशत (2013–14) हो गया।

स्रोत: इं.पॉ.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. द्वारा प्रदत्त आंकड़े

<sup>24</sup>फोर्सड आउटेज वह आउटेज है जो पूर्वनियोजित नहीं है (मशीनों में आकस्मिक ब्रेक डाउन)

<sup>25</sup>बैंकिंग डाऊन घंटों वह घंटे हैं जिनकी स्टे.लो.डि.से. एवं डिस्कॉम से विजली का शेड्यूल न मिलने के कारण हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि प्लांट प्राधिकारियों ने सामयिक रखरखाव शेड्यूलों का अनुपालन नहीं किया जिससे न केवल आउटेज हुए बल्कि स्टेशन उष्मा दर में कमी हुई जिससे इनपुट की अधिक खपत, प्लांटों की क्षमता की उपयोगिता में कमी और पॉवर के शेड्यूल में कमी हुई।

#### 2.2.6.5 सहायक ऊर्जा उपभोग

सहायक ऊर्जा उपभोग (स.ऊ.उ.) का अर्थ उत्पादन प्रणाली के सहायक उपकरणों द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा की प्रमात्रा है। दि.वि.वि.आ./के.पॉ.वि.आ. द्वारा निर्धारित (स.ऊ.उ.) मानकों की तुलना में 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान पॉवर प्लांटों द्वारा प्राप्त किया गया सहायक ऊर्जा उपभोग **अनुलग्नक 2.8** में दिया गया है। स.ऊ.उ. प्र.पॉ.स्टे.–I, के अलावा सभी पॉवर प्लांटों में अधिक था जिसके फलस्वरूप ₹ 48.04 करोड़ के 154.75 एम.यू. का अधिक उपभोग हुआ। के.वि.प्रा (मीटर अधिष्ठापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2010 से पॉवर स्टेशनों के लिए ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा मीटर का प्रतिष्ठापन अनिवार्य कर दिया गया। यद्यपि आवश्यक स्थानों पर इनको प्रतिष्ठापित नहीं किया गया, प्लांट प्राधिकारी ने टैरिफ की याचिकाओं में यह दलील दी कि स.ऊ.उ. प्रणाली की मांग कम होने के कारण प्लांटों में बार–बार होने वाले/लंबी अवधि तक चलने वाली प्लांट बैकिंग डाउन के कारण ज्यादा था। यद्यपि, इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. बैकिंग डाउन का स.ऊ.उ. पर होने वाले प्रभाव का निर्धारण करने के लिए दि.वि.वि.आ. को कोई अध्ययन/विवरण नहीं उपलब्ध करा पाये जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ तय करते समय दि.वि.वि.आ. ने इसे संज्ञान में नहीं लिया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2016) कि इं.पॉ.उ.कं.लि. एवं प्र.पॉ.कॉ.लि. ने के.वि.प्रा. के मानकों का उल्लंघन किया है यह कहना ठीक नहीं है क्योंकि कंपनियों ने पर्याप्त मीटरों का अधिष्ठापन किया है। उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा सत्यापन में पाया गया कि मीटरों का सभी आवश्यक स्थानों पर अधिष्ठापन नहीं किया गया।

#### 2.2.7 मरम्मत और रखरखाव

उपकरण की दक्षता और उपलब्धता वार्षिक रखरखाव और ओवरहॉलिंग कार्यक्रम के पालन पर निर्भर है। इस संबंध में पाए गए प्रमुख निष्कर्षों पर आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

#### 2.2.7.1 राजधानी पॉवरहाउस की प्रमुख ओवरहॉलिंग

रा.रा.क्षे.दि.स. ने 31 मार्च 2011 तक रा.पॉ.हा. को बंद करने का निर्णय लिया जिसको 31 मार्च 2013 तक स्थगित कर दिया गया। यद्यपि, इं.पॉ.उ.कं.लि. के नि.बो. ने मार्च 2013 के बाद रा.रा.क्षे.दि.स. से अनुमोदन मिलने की स्थिति में पांच वर्ष की अवधि के लिए इसका प्रचालन जारी रखने हेतु सैद्धांतिक रूप में अनुमोदन प्रदान किया, जिसका आधार यह था कि रा.पॉ.हा. वॉल्ड सिटी की आवश्यकता को पूर्ण कर रहा है और जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो, प्लांट चालू रखा जाए। नि.बो. ने ₹ 22.92 करोड़ में रा.पॉ.हा. की दोनों इकाईयों की प्रमुख ओवरहॉलिंग (प्र.ओ.) को भी अनुमोदन प्रदान किया। पॉवर विभाग,

रा.रा.क्षे.दि.स. ने नि.बो. के निर्णय का अनुमोदन किया (नवंबर 2014) और इकाई-2 का प्र.ओ. 30 दिसम्बर 2014 से आरंभ किया गया और ₹ 15.09 करोड़ के व्यय में 1 अप्रैल 2015 में पूरा किया गया। लेखापरीक्षा में पाया:

- (i) प्र.ओ. प्रस्तावित कार्यक्रम के एक वर्ष बीतने के बाद आरंभ किया गया। इसके अतिरिक्त यह 60 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाना था लेकिन इसमें 92 दिन लगे।
- (ii) प्र.ओ. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (दि.प्र.नि.स.) के सस्पेंडेड पार्टिक्यूलेट मैटर (स.पा.मै.) के मानकों की प्राप्ति हेतु किया जाना था। लेकिन प्र.ओ. के दौरान 50 मि.ग्रा./च्यू.मी<sup>3</sup> के पार्टिक्यूलेट मैटर एमीशन के दि.प्र.नि.स. के मानकों का पालन करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स (ई.स्टै.प्रे.) के उन्नयन या अतिरिक्त ई.स्टै.प्रे. रीट्रोफिटिंग करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप दि.प्र.नि.स. ने रा.पॉ.हा. को प्रचालित न करने का निर्देश दिया (मार्च 2016)। रा.पॉ.हा. प्लाट मई 2015 से निष्क्रिय था, जिसके कारण ₹ 15.09 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

प्रबंधन ने बताया (सितम्बर 2016) कि ओवरहॉलिंग के पूर्ण होने में देरी जनरेटर, टर्बाइन और बॉयलर को खोलने के बाद पाई गई अन्य अप्रत्याशित क्षति के कारण हुई। नए/अतिरिक्त ई.स्टै.प्रे. की रिट्रोफिटिंग, स्थान की कमी और ऊंची लागत के कारण नहीं की गई। यह उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ई.स्टै.प्रे. की रिट्रोफिटिंग के स.पा.मै. मानकों की प्राप्ति के लिए जरूरी थी, जो उसके प्रचालन को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक थे। ऐसा करने में विफल रहने के कारण, ₹ 15.09 करोड़ व्यय करने के बावजूद रा.पॉ.हा. मई 2015 से निष्क्रिय पड़ा है।

#### **2.2.7.2 गै.ट.पॉ.स्टे. गैस टर्बाइन इकाई 2 (गै.ट.इ.) का पुनरुद्धार**

फरवरी 2014 में गैस टर्बाइन पॉवर स्टेशन (गै.ट.पॉ.स्टे.) के गै.ट.इ.-2 के हॉट गैस पाथ निरीक्षण के दौरान मशीन के कंप्रेसर डिस्चार्ज केसिंग और टर्बाइन केसिंग क्षतिग्रस्त पाए गये और मरम्मत योग्य नहीं थे। प्रबंध निदेशक की अनुमति (अक्तूबर 2014) के बाद सामग्री, स्पेयर और सर्विस हेतु एक क्रय आदेश (क्र.आ.) मार्च 2015 में दिया गया। मशीन की मरम्मत ₹ 13.29 करोड़ में की गई और 25 अक्तूबर 2015 में पुनः चालू की गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रबंधन को एक नया गैस टर्बाइन (गै.ट.) प्राप्त करने के निर्णय में सात माह से अधिक लगे और इसके बाद क्र.आ. देने में चार माह से अधिक लगे।

गै.ट.इ.-2 के पुनरुद्धार के लिए और देरी हुई क्योंकि गै.ट.इ.-2 के लिए आदेशित एग्जॉस्ट प्लेनम और डिफ्यूजर को गै.ट.इ.-4 को जून 2014 में लगाया गया। गै.ट.इ.-2 के लिए इस उपकरण का क्र.आ. जून 2014 के बजाय मार्च 2015 में प्रस्तुत किया गया। यद्यपि मरम्मत के बाद मशीन 14 जुलाई 2015 को प्राप्त हुई, इसके पुनः चालू होने में अतिरिक्त तीन माह की देरी इसके पुर्जे सितम्बर 2015 तक मिलने के कारण हुई।

इस प्रकार मांगे गए उपकरण हेतु क्रय आदेश प्रस्तुत करने में देरी के साथ-साथ प्रबंधन के निर्णय में देरी के फलस्वरूप ₹ 26.45 करोड़ की हानि आठ महीने<sup>26</sup> के क्षमता प्रभार की वसूली न होने की वजह से हुई।

<sup>26</sup>क्रय/कार्य आदेश और निर्णय किए जाने के चार माह की तर्कसंगत अवधि की अनुमति के बाद परिकलित।

प्रबंधन ने बताया कि गै.ट. का पुनरुद्धार निधि के अभाव के कारण विलंबित हो गया (सितम्बर 2016)। यद्यपि लेखापरीक्षा जांच में निधियों की कमी का कोई सबूत नहीं मिला।

#### 2.2.8 निष्कर्ष

इस प्रकार, पॉवर उत्पादन कंपनियों के कामकाज में पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाई गई कमियां अभी भी पाई गईं। मुख्यतः डिस्कॉम से प्रतिकूल प्राप्तियों में लगातार वृद्धि और समय पर ऋणों और उनपर ब्याज का भुगतान समय पर न करने के कारण ₹ 132.63 करोड़ के दंडात्मक ब्याज के भुगतान से वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई। डिस्कॉमों के ₹ 4,911.07 करोड़ के ऊर्जा बिलों के बकाया होने के कारण इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. उधारी पर निर्भर हो गए और नकदी के संकट की ओर बढ़ रहे हैं। कम परिचालन दक्षता के कारण पॉवर की युनिट लागत बढ़ गई जिससे डिस्कॉम द्वारा कंपनियों से पॉवर की खरीद में कमी आई। जिसका नतीजा यह रहा कि इं.पॉ.उ.कं.लि. और प्र.पॉ.कॉ.लि. के प्लांटों की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 10 प्रतिशत से 68 प्रतिशत तक अनुपयोगित रही। कंपनियां योजनागत क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं कर पाई। प्र.पॉ.स्टे.-III, बवाना के चालू होने में देरी के परिणामस्वरूप टैरिफ में पूंजीगत लागत की कम वसूली हो पाई। प्लांटों की स्टेशन ऊष्मा दर कम होने से ईंधन का उपभोग अधिक हुआ। पॉवर प्लांट लक्षित प्लांट उपलब्धता भी प्राप्त नहीं कर पाए जिससे क्षमता प्रभारों की वसूली भी कम हुई जबकि रा.पॉ.हा., गै.ट.पॉ.स्टे. और प्र.पॉ.स्टे.-III में सहायक ऊर्जा खपत मानकों से अधिक थी।

#### 2.2.9 सिफारिशें

लेखापरीक्षा प्राप्तियों के आधार पर यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी:

- वित्तीय प्रबंधन में सुधार करने के लिए दंड का भुगतान कम से कम करने को सुनिश्चित करे और पॉवर खरीद समझौते के अनुसार पॉवर वितरण कंपनियों से बकाया राशि की वसूली के लिए कदम उठाये।
- प्रचालन मापदंडों में सुधार करने में मदद करने के लिए आवधिक निष्पादन परीक्षण करें।
- लागत को नियंत्रित करने के लिए, आवधिक अनुरक्षण कार्यक्रम का पालन, मरम्मत व रखरखाव की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करें।

मामला सरकार को अक्टूबर 2016 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

## वित्त विभाग

### 2.3 दिल्ली वित्तीय निगम की कार्यप्रणाली

निगम न केवल लघु उद्योगों के उन्नयन व विकास के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा, बल्कि सिमटते कारोबार पर काबू पाने के लिए अपनी गतिविधियों में विविधता लाने का निर्णय समय से लेने में भी विफल रहा। निगम के कारोबार में कमी ₹ 14.69 करोड़ का संभावित व्यापार न किए जाने के कारण हुई। निगम ने ₹ 0.81 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के लिए अपने मुख्य व्यावसायिक कार्यालय के अतिरिक्त स्थान को किराए पर नहीं चढ़ाया।

#### 2.3.1 प्रस्तावना

दिल्ली वित्तीय निगम (निगम) का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (रा.रा.क्षे.दि.स.) तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में 1967 में राज्य वित्तीय निगम (रा.वि.नि.) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत मध्यम, लघु व सूक्ष्म क्षेत्रों में वित्त उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र के उद्यमों के उन्नयन तथा विकास के लिए किया गया। निगम, रा.रा.क्षे.दि.स. तथा चंडीगढ़ में सरकारी एजेंसियों द्वारा आवंटित भूखंडों/दुकानों की लागत, व्यवसाय ऋणों तथा वाणिज्यिक परिवहन की वित्त व्यवस्था करता है। निगम की एक शाखा चंडीगढ़ में है।

निगम ने वर्ष 2015–16 तक अपने लेखों को अंतिम रूप दिया है। वर्ष 2013–14 से 2015–16 के बीच निगम की वित्तीय स्थिति को अनुलग्नक **2.9** में दिया गया है। ऋणों के कम संवितरण तथा अधिक पुनर्भुगतान के कारण निगम का ऋण पोर्टफोलियो 2013–14 से 2015–16 के बीच ₹ 134.82 करोड़ से कम होकर ₹ 119.55 करोड़ रह गया। यद्यपि, इसी अवधि के दौरान अब तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (गै.नि.प.) के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों पर दावों की वसूली के कारण परिचालनों से होने वाली आय ₹ 16.99 करोड़ से बढ़कर ₹ 17.52 करोड़ हो गई। निगम का गै.नि.प. 31 मार्च 2016 तक ₹ 9.57 करोड़ पर स्थिर रहा जो उसके कुल बकाया ऋणों का 8.01 प्रतिशत है।

निगम के कार्य के मूल्यांकन के लिए 2013–14 से 2015–16 की अवधि सम्मिलित करते हुए लेखापरीक्षा मई 2016 से जून 2016 तक की गई।

#### लेखापरीक्षा प्राप्तियां

#### 2.3.2 संस्वीकृति के लक्ष्य और संस्वीकृत ऋणों का संवितरण

निगम ने वार्षिक रूप से अपने ऋणों के संवितरण तथा वसूली के लक्ष्य निर्धारित किए। निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त उपलब्धियों का विवरण तालिका 2.3.1 में नीचे दिया गया है:

**तालिका 2.3.1: लक्ष्य बनाम संस्वीकृतियां, संवितरण एवं वसूली की उपलब्धियां**  
**(₹ करोड़ में)**

वर्ष	संस्वीकृति			संवितरण			वसूली		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त किए गए लक्ष्य का %	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त किए गए लक्ष्य का %	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त किए गए लक्ष्य का %
2013-14	25.00	7.20	28.80	20.00	6.65	33.25	45.00	50.79	112.87
2014-15	45.00	60.72	134.93	40.00	9.14	22.85	35.00	43.70	124.86
2015-16	20.00	23.19	115.95	40.00	49.37	123.43	35.00	52.40	149.71

निगम ने ऋणों को संस्वीकृत करने के अपने लक्ष्य को वर्ष 2013–14 में ₹ 25 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2014–15 में ₹ 45 करोड़ कर दिया। इस निर्धारित लक्ष्य की तुलना में निगम ने ₹ 60.72 करोड़ का उच्च लक्ष्य प्राप्त किया तथा इस योजना में संस्वीकृत ऋण का अधिकांश भाग वर्ष 2015–16 में संवितरित किया गया। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान गाजीपुर में दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड (दि.कृ.वि.बो.) द्वारा आवंटित दुकानों के वित्तीयन हेतु सरकार द्वारा प्रायोजित कार्य के निगम द्वारा प्राप्त करने के कारण ऋण संवितरण में सुधार हुआ। दुकानों के लिए ₹ 53.18 करोड़ का ऋण संस्वीकृत किया गया। तथापि, निगम 2013–14 तथा 2014–15 में ऋण संवितरण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा। यह कमी क्रमशः 67 प्रतिशत तथा 77 प्रतिशत की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2013–14 से 2015–16 की अवधि के दौरान कुल ₹ 65.16 करोड़ के संवितरण में से निगम ने मात्र ₹ 1.45 करोड़ का संवितरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों (सू.ल.म.क्षे.उ.) को किया जबकि निगम का प्रमुख लक्ष्य सू.ल.म.उ. क्षेत्र का प्रोत्साहन, वित्तीयन और विकास था।

प्रबंधन ने अगस्त 2016 में बताया कि उसे सू.ल.म.क्षे.उ. क्षेत्र से व्यवसाय प्राप्त नहीं हो रहा है तथा सरकार से सॉफ्ट ऋण या इकिवटी इंफ्यूजन और सिडबी से रियायती दरों पर पुनः वित्तीयन की गैर-उपलब्धता के कारण कुल व्यवसाय कम हो रहा है।

### 2.3.3 व्यवसाय की योजना

दि.कृ.वि.बो. द्वारा आवंटित दुकानों के एकमुश्त वित्तीयन के व्यवसाय को छोड़कर पिछले तीन वर्षों में निगम का व्यवसाय न्यूनतम रहा। निगम ने संभाव्य व्यवसाय को नहीं तलाशा, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:

### 2.3.3.1 ई—रिक्शा का वित्तीयन

निदेशक मंडल ने मार्च 2015 में ई—रिक्शा खरीदने वाले को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। 2000 ई—रिक्शा को नई ई—रिक्शा की लागत का 80 प्रतिशत तक 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वित्त उपलब्ध कराना था।

निगम ने सितम्बर 2015 तक 550 आवेदन प्राप्त किये जिनमें से 304 आवेदन स्वीकृत किये गये। इसने 31 मार्च 2016 तक 226 मामलों में ₹ 1.87 करोड़ का संवितरण किया। निगम ने सितम्बर 2015 में 58 मामलों में पहली किस्त के पुनर्भुगतान में त्रुटि पाए जाने के कारण आगे के ऋण संवितरण को रोक दिया।

यद्यपि, निगम के अभिलेखों से पता चला कि ई—रिक्शा योजना के अंतर्गत ऋण आवेदनों में अच्यानक तेज वृद्धि के कारण वह दस्तावेजों की समय पर जांच नहीं कर सका तथा सितम्बर 2015 में योजना को बंद कर दिया गया। इस प्रकार, निगम ने प्रारंभ के तुरन्त बाद तक केवल ₹ 1.87 करोड़ का व्यवसाय किया तथा 78 मामलों में ₹ 2.69 करोड़<sup>27</sup> के निश्चित व्यवसाय के अवसर का लाभ उठाने में विफल रहा जिसमें ऋण संस्वीकृत था लेकिन संवितरित नहीं किया गया। योजना के खराब विपणन तथा घटिया संचालन के कारण निगम ने शेष 1,450 ई—रिक्शा के लगभग ₹ 12 करोड़ के वित्तीयन का व्यवसाय भी खो दिया।

प्रबंधन ने अगस्त 2016 में बताया कि निगम ने ई—रिक्शों को वित्तीय सहायता देने पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि ई—रिक्शों के कम अवशिष्ट मूल्य और वाहन मालिकों को खोजने में आने वाली कठिनाईयों के कारण वसूली पर संदेह उठाया गया। यह भी बताया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने योजना हेतु कोई सहायता (सॉफ्ट लोन) प्रदान नहीं की। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम द्वारा ऋण, पंजीकृत ई—रिक्शा मालिकों को वाहन की प्रतिभूति तथा अतिरिक्त ऋणधारकों के आपसी गारंटीरों की समर्थक प्रतिभूति पर ही प्रदान किया जाना था। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2016 तक केवल 78 मामलों में पुनर्भुगतान में चूक पाया।

### 2.3.3.2 विविध क्षेत्रों में उद्यम

निगम ने 2008—09 तथा 2014—15 के दौरान विभिन्न समितियां गठित की जिसने अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए गैर वित्तीय गतिविधियों जैसे परियोजनाओं, प्रशिक्षण और परामर्श हेतु लेन—देन सलाहकार सेवाएं, वित्तीयन की गई परिसंपत्तियों के बीमा व्यवसाय लेने की सिफारिश की। उन्होंने अवसंरचनात्मक गतिविधियों अर्थात् नर्सिंगहोम/डायग्नोस्टिक केन्द्र, वाणिज्यिक दुकानों, होटल/रेस्तरां और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वित्तीयन में विविधता लाने की तथा गैर—बैंकिंग वित्तीयन कंपनी (गै.बै.वि.क.) खोलने की सिफारिश भी की। यद्यपि निगम इनमें से किसी भी सुझाव को क्रियान्वित करने में असफल रहा।

<sup>27</sup> 324 मामले (550—226 मामले) वास्तविक संवितरण प्रति ई—रिक्शा की औसत दर अर्थात् ₹ 0.83 लाख (₹ 1.87 करोड़/226 मामले) के आधार पर परिकलित

### 2.3.4 वसूली निष्पादन

2013–14 से 2015–16 की अवधि के दौरान निगम की ऋण परिसंपत्तियों का मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा परिसंपत्तियों की हानि के वर्गीकरण का सार नीचे तालिका 2.3.2 में है:

**तालिका 2.3.2: ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16
मानक परिसंपत्तियां	116.87	94.95	109.98
अवमानक परिसंपत्तियां (देय जो तीन माह से कम और दो वर्ष से अधिक नहीं)	9.38	4.39	2.62
संदिग्ध परिसंपत्तियां (देय में दो वर्षों से अधिक की चूक)	3.51	6.07	1.67
परिसंपत्तियों की हानि (मामले जो नुकसान के रूप में पाये गये परन्तु राइट ऑफ नहीं किया गया)	5.07	5.10	5.28
कुल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (गै.नि.प.)	17.96	15.56	9.57
कुल बकाया ऋण	134.83	110.51	119.55
गै.नि.प. के कुल ऋण का प्रतिशत	13.31%	14.08%	8.01%

निगम ने जुलाई 2011 में पांच वर्षों के लिए एक त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. सिडबी तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ हस्ताक्षर किया। निगम एमओयू अवधि के दौरान गै.नि.प. को कुल बकाया ऋण के 10 प्रतिशत के बराबर तक लाने के लिए सहमत हुआ। निगम 2015–16 की एम.ओ.यू अवधि के अंत तक लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा।

### 2.3.5 वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालने वाले मामले

#### 2.3.5.1 उधार की लागत को कम करने का अवसर प्राप्त नहीं करना

दि.रा.ओ.अ.वि.नि. दिसम्बर 2014 में दि.कृ.वि.बो. द्वारा दुकानों के आवंटन से उत्पन्न वित्त व्यवसाय की मदद के लिए 9.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ₹ 30 करोड़ का अवधि ऋण अग्रिम देने के लिए सहमत हुआ। यद्यपि निगम ने इस कथित ऋण का लाभ नहीं लिया तथा अपने आंतरिक खोतों से व्यवसाय का वित्तीयन किया जबकि निगम पर रा.रा.क्षे.दि.स. से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ऊंची दर पर ₹ 33 करोड़ (सितम्बर 2011 में लिए गए कुल ₹ 40 करोड़ का शेष) का ऋण था। इस प्रकार दि.रा.ओ.अ.वि.नि. द्वारा उपलब्ध 9.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम वार्षिक ब्याज दर पर ₹ 30 करोड़ का ऋण न लेने के कारण निगम ने मार्च 2016 तक ₹ 28.13 लाख का ब्याज खर्च बचाने का अवसर खो दिया।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2016) कि निगम ने ऋण का लाभ नहीं लिया क्योंकि इसने वित्तीयन हेतु अपने आंतरिक स्रोतों से प्राप्त धन का उपयोग किया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि दि.रा.औ.अ.वि.नि. से कम ब्याज दर पर उपलब्ध निधि प्राप्त करना और रा.रा.क्षे.दि.स. के ऊंचे ब्याज दर पर बकाया ऋण को वापस करना बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए था।

### 2.3.5.2 दायर किए गए दावों की धनराशि तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (ट्रस्ट) के लिए क्रेडिट गारंटी निधि की देयता की वसूली न होना

सू.ल.म.क्षे.उ. मंत्रालय, भारत सरकार और सिड्डी ने अगस्त 2000 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी (ट्रस्ट) निधि की स्थापना की जो ऋणदाता को 85 प्रतिशत तक क्रेडिट की सुविधा का आश्वासन देता है। योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹ 5 लाख तक के ऋण की गारंटी की सुरक्षा उपलब्ध है। लेखापरीक्षा ने पाया कि निगम ने फरवरी 2013 तथा नवम्बर 2014 के बीच 202 मामलों में दावे दायर किये, जिसमें से 72 मामलों में ₹ 53.53 लाख की वसूली 31 मार्च 2016 को बकाया थी। शेष 130 मामलों में जहां 75 प्रतिशत की पहली किश्त प्राप्त हुई थी, ₹ 25.91 लाख वसूली के लिए बकाया थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निगम ने ट्रस्ट के साथ लंबित मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की। निगम को सितम्बर 2016 तक ₹ 79.44 लाख के दावे की वसूली अभी करनी थी।

योजना के नियम व शर्तों के अनुसार यदि कोई, रकम बाद में चूककर्ता से वसूली गई तो निगम को इसे ट्रस्ट को वापस करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि निगम ने फरवरी 2013 और मार्च 2016 के बीच ₹ 56.78 लाख चूककर्ता से वसूल किए, इसने केवल ₹ 5.78 लाख ही ट्रस्ट को वापस किए और ट्रस्ट को देय ₹ 51 लाख की शेष राशि रोक रखी थी।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि दायर दावों और लंबित मामलों को समायोजन करने के लिए निगम को अनुमति देने के मामलों को ट्रस्ट के समक्ष उठाया जाएगा।

### 2.3.6 अन्य प्राप्तियां

#### 2.3.6.1 उपलब्ध अतिरिक्त कार्यालय स्थान को किराए पर न देना

निगम के कॉर्पोरेट कार्यालय का कुल तल क्षेत्रफल लगभग 12,520 वर्गफीट है। निगम ने भवन का 8,180 वर्गफीट रखा है, और 4,340 वर्गफीट क्षेत्रफल<sup>28</sup> विभिन्न किराएदारों को नवंबर 2006 से अक्तूबर 2015 के बीच पट्टे पर दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि संबंधित किराएदारों द्वारा समय—समय पर स्थान खाली करने के पश्चात् निगम ने अतिरिक्त स्थानों को किराए पर देकर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। निगम द्वारा मार्च 2011 से मार्च 2016 के बीच अतिरिक्त उपलब्ध स्थानों को किराए पर देने में विफल होने के परिणामस्वरूप ₹ 80.61 लाख (वर्ष 2009 में निगम द्वारा किराएदारों से प्राप्त

<sup>28</sup>निगम ने अपने भवन के विभिन्न भाग का 4340 वर्गफीट क्षेत्रफल किराए पर दिया—यथा: दिसम्बर 2008 से नवम्बर 2010 तक प्रथम तल पर 1210 वर्गफीट, दिसम्बर 2009 से अगस्त 2013 तक 1480 वर्गफीट और नवम्बर 2006 से अक्तूबर 2015 तक भूमितल पर 1650 वर्गफीट।

4,340 वर्गफीट के क्षेत्रफल के लिए न्यूनतम किराया ₹ 68 प्रति वर्गफीट दर पर परिकलित) के लाभ कमाने का मौका खो दिया।

निगम ने अगस्त 2016 में कहा कि अतिरिक्त स्थान को किराए पर देने हेतु प्रयास किए गए थे किन्तु कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई और अब इसने इसका विज्ञापन अपनी बैवसाइट पर डाल दिया है। यद्यपि किए गए प्रयासों को स्थापित करने के लिए लेखापरीक्षा को कोई भी रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

### 2.3.6.2 किराएदारों से सेवाकर की वसूली न करना

निगम ने नवंबर 2006 एवं दिसंबर 2009 के बीच विभिन्न पार्टियों के साथ किरायों का करार किया। 01 जून, 2007 से अचल संपत्ति को किराए पर देना कर—योग्य बना दिया गया। यद्यपि निगम ने वर्तमान करार में संशोधन या करार में शामिल होने की तिथि के पश्चात सेवा कर का किरायेदार द्वारा भुगतान करने के प्रावधान के समावेशन का कर संरचना में हुए परिवर्तन का संज्ञान नहीं लिया। निगम ने जून 2012 में सेवाकर के दायित्व पर देरी से ध्यान दिया और वर्ष 2012–13 के दौरान अपनी स्वयं की निधियों से ₹ 21.35 लाख जमा किया। इसने सितंबर 2012 में पूर्व—किराएदारों से सेवाकर के भुगतान की मांग की जिन्होंने सेवा कर के किसी भी भुगतान को करने से इंकार कर दिया। इस प्रकार निगम सेवा कर की सांवंधिक देयताओं का समय पर संज्ञान लेने में असफल रहा, परिणामस्वरूप ₹ 21.35 लाख की वसूली नहीं हुई जो कि निगम को हानि है।

प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2016) कि निगम ने मामले को पूर्व किराएदारों के साथ उठाया है।

### 2.3.7 निष्कर्ष

इस प्रकार, निगम व्यवसायिक अवसर उठाने के साथ—साथ निदेशक बोर्ड द्वारा गठित की गई विभिन्न समितियों की कार्यान्वयन सिफारिशों, परामर्श, बीमा और अवसंरचनात्मक गतिविधियों के वित्तीयन के क्षेत्र में अपने वर्तमान व्यवसाय का वैविध्यकरण करने में विफल रहा। विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाने में कमी होने के कारण ब्याज के रूप में ₹ 28.13 लाख का परिहार्य व्यय एवं कार्यालय के अधिशेष स्थान के संभावित किराये की आय में ₹ 80.61 लाख की हानि हुई।

मामला अगस्त 2016 में सरकार को भेजा गया; उनका उत्तर नवम्बर 2016 तक प्रतीक्षित था।

## पॉवर विभाग

### दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड

#### 2.4 निपटान में विलंब

**स्क्रैप के निपटान में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 5.45 करोड़ का अवरोध तथा ₹ 1.71 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।**

रा.रा.क्षे.दि.स. की मार्च 2012 को समाप्त अवधि के लिए नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन सं. 1 में प्रकाशित पैराग्राफ सं. 7.11.2.2 में दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (दि.ट्रां.लि.) द्वारा क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के निपटान में विलंब के कारण ₹ 2.54 करोड़ की हानि प्रदर्शित की गई थी। प्रबंधन ने दिसम्बर 2012 में कहा कि प्रक्रियागत विलंब को हटाने हेतु एक स्क्रैप निपटान नीति विचाराधीन थी। लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2016) कि करीब चार साल बीत जाने के बाद भी दि.ट्रां.लि. नीति बनाने में असफल रहा।

दि.ट्रां.लि. के पास चार अनुपयोगी ट्रांसफार्मर थे जिनका निपटान वर्ष 2014 और 2015 के दौरान 13 महीने से 66 महीनों<sup>29</sup> की देरी से कंपनी को नीलामी पूर्व प्रक्रिया एवं नियत आरक्षित मूल्य की व्यवस्था करने के लिए छ: माह की उचित अवधि देने के बाद किया गया। क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों के निपटान हेतु निर्णय लेने में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 5.45 करोड़ की निधि का अवरोध हुआ तथा चार ट्रांसफार्मर के निपटान मूल्य पर ₹ 1.71<sup>30</sup> करोड़ के ब्याज का हानि हुआ।

दि.ट्रां.लि. ने कहा (अगस्त 2016) कि निपटान प्रबंधन हेतु गुणवत्ता प्रणाली प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और ट्रांसफार्मरों का निपटान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद किया गया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर को स्क्रैप घोषित किए जाने का निर्णय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की रिपोर्ट, स्टोर निपटान समिति (स्टो.नि.स.) द्वारा आरक्षित मूल्य का निर्धारण और एमएसटीसी के माध्यम से इसकी ई-नीलामी पर निर्भर करता है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि के.वि.प्रा. से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् भी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर में विलंब हुआ जिसमें स्टो.नि.स. द्वारा आरक्षित मूल्य तय करना भी शामिल था।

मामला सरकार को जून 2016 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

<sup>29</sup>कोई समयसीमा निर्धारित नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा ने ट्रांसफार्मर को स्क्रैप में परिवर्तित करने, इसका आरक्षित मूल्य निर्धारित करने और निपटान हेतु छ: माह की उचित समयावधि ली है।

<sup>30</sup>10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित की गई, न्यूनतम ऋण दर।

## 2.5 खरीददारी में समन्वय की कमी

ट्रांसफॉर्मरों की खरीद और उनसे जुड़ी बेज के अधिष्ठापन कार्य की गतिविधियों में तारतम्यता के अभाव में ₹ 13.15 करोड़ की निधि का अवरोध हुआ और साथ ही ₹ 4.55 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (दि.ट्रां.लि) ने 2007–11 से 2012–15 की नियंत्रण अवधि हेतु अपने व्यवसाय योजना में वजीराबाद के दक्षिण (व.के.द.) और गाजीपुर सबस्टेशनों के 220 कि.वो. उपकेंद्रों के ट्रांसफार्मर क्षमता की वृद्धि का प्रस्ताव रखा (दिसंबर 2007 और जून 2010)। इस कार्य वृद्धि के साथ उनसे जुड़ी बेज के प्रतिस्थापन का कार्य जो ट्रांसफार्मरों को सक्रिय करने के पूर्व आवश्यक था, 2008–09 तथा 2013–14 तक क्रमशः व.के.द. और गाजीपुर उपकेंद्रों के लिए पूरा हो जाना चाहिए था।

दि.ट्रां.लि के निदेशक बोर्ड ने सितम्बर 2008 में व.के.द. हेतु 160 एमवीए ट्रांसफार्मर के खरीद, संस्थापन जांच और चालू करने के कार्य के साथ उनसे संबंधित मदों का अनुमोदन किया और नवम्बर 2008 में एक फर्म 'ए' को क्रय आदेश दिया, जिसकी सितम्बर 2009 में सप्लाई की गई। जून और दिसम्बर 2009 के बीच इसका भुगतान ₹ 7.30 करोड़ किया गया।

इसी प्रकार, 220 कि.वो. गाजीपुर उपकेंद्र की मौजूदा क्षमता 200 एमवीए से बढ़ाकर 360 एमवीए करने के लिए दि.ट्रां.लि ने अक्टूबर 2012 में एक नया 160 एमवीए ट्रांसफार्मर के संस्थापन का निर्णय लिया। दिसम्बर 2012 में क्रय आदेश एक फर्म 'बी' को दिया गया जिसने अप्रैल 2013 में सप्लाई की। इसका भुगतान ₹ 5.85 करोड़, जून और जुलाई 2013 के बीच किया गया।

कार्यस्थलों पर संबंधित बेज का अधिष्ठापन न होने के कारण दोनों ट्रांसफार्मरों को समय पर चालू नहीं किया जा सका। यद्यपि ट्रांसफार्मर सितम्बर 2009 और अप्रैल 2013 में सप्लाई कर दिये गए पर व.के.द. और गाजीपुर में संबंधित बेज की सप्लाई, संस्थापन और चालू करने हेतु निविदाएं केवल फरवरी और अप्रैल 2013 में आमंत्रित की गई, लेकिन दरें अनुमानित लागत की तुलना में अधिक होने के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अंततः करार जून 2014 में ₹ 5.24 करोड़ की लागत पर दिया गया। आखिरकार व.के.द. और गाजीपुर उपकेंद्रों के ट्रांसफार्मरों के साथ बेज को क्रमशः जनवरी 2015 और मार्च 2015 में सक्रिय किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.ट्रां.लि. ने व.के.द. तथा गाजीपुर उपकेंद्रों के लिए ट्रांसफार्मरों के क्रय के साथ–साथ संबंधित बेज की निविदा पड़ताल हेतु पहल नहीं की। ट्रांसफार्मरों के क्रय और संबंधित बेज को चालू करने की गतिविधियों में तारतम्य की कमी के कारण ₹ 13.15 करोड़ की पूंजी का अवरोध तथा उनसे संबंधित ₹ 4.55 करोड़ के ब्याज की हानि

हुई। इससे ट्रांसफार्मरों को सक्रिय करने में न केवल विलंब हुआ बल्कि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय पॉवर से वंचित रहना पड़ा।

दि.ट्रा.लि. ने अगस्त 2016 में बताया कि प्रचलित चलन के अनुसार 66 कि.वो. और 220 कि.वो. बेज उपकरण का संरथापन, जांच एवं चालू और सिविल स्थापना तथा यार्ड निर्माण कार्य अलग—अलग आदेश के माध्यम से हुआ करते थे, लेकिन इन गतिविधियों के लिए आदेशों में होने वाली देरी के कारण अक्टूबर 2012 में यह निर्णय लिया गया कि यह कार्य टर्नकी निविदा के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। यह भी बताया गया कि विद्यमान भंडार प्रक्रियाओं का पालन करने के कारण निविदा प्रक्रिया में यह अनियत विलंब हुआ और दि.ट्रा.लि. ने अब टर्नकी आधार पर निविदा करने की नीति को अपनाया है जिससे इस प्रकार के विलंब में कमी होगी।

मामला सरकार को जुलाई 2016 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

## 2.6 पेंशन ट्रस्ट को परिहार्य भुगतान

**डिस्कॉम से दावा करने के बजाय पेंशन ट्रस्ट को ₹ 29.97 करोड़ के टीडीएस का परिहार्य भुगतान करने के कारण निधि का अवरोधन तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ के ब्याज की हानि।**

दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 और दिल्ली विद्युत सुधार नियम, 2001 (हस्तांतरण योजना) के अनुसार तत्कालीन दिल्ली विद्युत बोर्ड (दि.वि.बो.) 1 जुलाई 2002 से उत्पादन, प्रेषण तथा वितरण उत्तराधिकारी इकाईयों में बंट गया जिसमें वितरण का कार्य तीन निजी कंपनियों द्वारा संभाला गया। पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के उद्देश्य के लिए पेंशन ट्रस्ट (ट्रस्ट) के नाम से एम्प्लाईज़ टर्मिनल बेनीफिट्स फंड –2002 बनाया गया। चूंकि डिस्कॉम समय–समय पर ट्रस्ट को किए जाने वाले अपनी इकिवटी के भुगतान में छूक कर रही थी, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (दि.वि.वि.आ.) ने अगस्त 2012 में दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (दि.ट्रां.लि.) को सभी पॉवर इकाईयों की ओर से निधि एकत्रित करने तथा ट्रस्ट को हस्तांतरण करने के लिए अंतरिम व्यवस्था करने हेतु आदेश दिया। तदनुसार, दि.ट्रां.लि. की समेकित राजस्व आवश्यकता में निधियों का प्रावधान किया गया। इसने यह भी आदेश दिया कि पॉवर इकाईयों द्वारा इस विभाजित राशि पर कोई छूट/टीडीएस की कटौती नहीं की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा (दिसम्बर 2015) कि दो डिस्कॉम बीएसईएस राजधानी पॉवर लि. (बी.रा.पॉ.लि.) और बीएसईएस यमुना पॉवर लि. (बी.य.पॉ.लि.) ने ₹ 299.74 करोड़ की धनराशि ट्रस्ट को उनकी इकिवटी के रूप में दि.ट्रां.लि. को भेजते हुए, ₹ 29.97 करोड़ की टीडीएस की कटौती की। यद्यपि, दि.ट्रां.लि. ने ट्रस्ट को इकिवटी हस्तांतरित करते हुए ₹ 29.97 करोड़ (जुलाई 2014 और अगस्त 2015 के बीच) के बी.रा.पॉ.लि./बी.य.पॉ.लि.

द्वारा काटे गये टीडीएस की आपूर्ति अपनी स्वयं की निधि से कर दी। आगे दि.ट्रां.लि. ने इस टीडीएस को वापस पाने के लिए निर्धारण वर्ष 2015–16 के लिए दाखिल अपनी आयकर विवरणी में दावा किया जबकि उसने डिस्कॉम के साथ टीडीएस की कटौती का मुद्दा कभी नहीं उठाया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दि.ट्रां.लि. अपनी कार्यशील पूँजी की आवश्यकता हेतु 2014–15 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक से ब्याज सहित ऋण ले रही थी। ₹ 29.97 करोड़ के अवरोधन के कारण दि.ट्रां.लि. को 30 नवम्बर 2016 तक ₹ 2.52<sup>31</sup> करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

दि.ट्रां.लि. ने अगस्त 2016 में उत्तर दिया कि बी.रा.पॉ.लि. तथा बी.य.पॉ.लि. ने वर्ष 2014–15 के लिए पेंशन ट्रस्ट की इकिवटी पर ₹ 29.97 करोड़ के टीडीएस की गलत कटौती की थी। इसके आगे, पेंशन ट्रस्ट में निधि की भी कमी थीं और आयकर विभाग से इसके प्रत्यर्पण की आशा होने के कारण ट्रस्ट को इसका भुगतान कर दिया तथा ₹ 1.90 करोड़ की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध डिस्कॉम से किया था।

मामला सरकार को जून 2016 में भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

## पर्यटन विभाग

### दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड

#### 2.7 निजी प्रचालकों से पार्किंग शुल्कों की गैर वसूली

निगम ने निजी प्रचालक द्वारा ₹ 1.93 करोड़ के पार्किंग शुल्कों के भुगतान से संबंधित करार की शर्तों को लागू नहीं किया यद्यपि इसने राजस्व अंश के भुगतान के लिए स्थगन काल के विस्तार को रियायत देकर ₹ 1.20 करोड़ की आय छोड़ दी।

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (दि.प.प.वि.नि.) ने “हॉप ऑन हॉप ऑफ” (होहो) पर्यटक बस सेवा शुरू करने के लिए, एक प्रचालक के साथ 10 जुलाई 2010 को एक करार किया। करार 15 सितंबर 2010 से 10 वर्षों के लिए प्रभावी था। बस सेवा को रा.रा.क्षे. दिल्ली में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को शामिल करना था।

करार के अनुसार, प्रचालक को होहो बसों की खरीद, संचालन एवं अनुरक्षण करना था। प्रचालक कुल राजस्व के निवल देय कर की 12 प्रतिशत हिस्सेदारी व्यावसायिक प्रचालन तिथि (व्या.प्र.ति.) के 24 महीने बाद से दि.प.प.वि.नि. को देगा। प्रचालक ने लगातार घाटे

<sup>31</sup>ब्याज घाटा, 31 मार्च 2015 तक 10.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से और अप्रैल 2015 से 4.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 244 ए के अंतर्गत अधिक टीडीएस के भुगतान पर उपलब्ध 6 प्रतिशत ब्याज का लाभ देते हुए परिकलित किया गया है।

का हवाला देते हुए दि.प.प.वि.नि. से स्थगन काल को सितम्बर 2014 तक अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाने का आग्रह किया (जुलाई 2012)। दि.प.प.वि.नि. ने रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुरोध पर स्थगन अवधि को आगे दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया (जनवरी 2013) इस प्रकार ₹ 1.20 करोड़ के राजस्व का हिस्सा छोड़ दिया। सेवा घाटे से चलती रही (नवम्बर 2016)।

करार में अनुबंध था कि प्रचालक को दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) एवं अन्य भूस्वामी एजेंसियों के साथ मिलकर, दि.प.प.वि.नि. द्वारा दी जा रही बसों के लिए पार्किंग एवं रखरखाव की सुविधाएं व्यवस्थित करनी थी। अगस्त 2010 में दि.प.नि. इन्ड्रप्रस्थ डिपो में होहो बसों की पार्किंग हेतु लागत आधार पर स्थान उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ और इसने अक्तूबर 2010 से सितंबर 2012 की अवधि के लिए ₹ 62.07 लाख की मांग की (सितंबर 2012)। दि.प.प.वि.नि. ने इस बारे में प्रचालक को अक्तूबर 2012 में बताया लेकिन प्रचालक ने इस आधार पर पार्किंग शुल्कों का भुगतान करने से मना कर दिया कि इसे करार में शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद फरवरी 2013 में, दि.प.नि. ने अक्तूबर 2010 से फरवरी 2013 की अवधि के लिए ₹ 75.17 लाख के बकाया भुगतान के लिए दूसरी सूचना भेजी। इसके बाद दि.प.प.वि.नि. द्वारा प्रचालक को फरवरी 2013 में शुल्कों के भुगतान के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। कारण बताओ नोटिस में कहा गया कि शुल्कों के गैर भुगतान से करार की शर्तों का उल्लंघन होगा तथा इससे करार का निरस्तीकरण और प्रचालक से बकाया राशि की वसूली होगी। जनवरी 2016 तक पार्किंग शुल्कों की देयता ₹ 1.93 करोड़ हो गई। मार्च 2016 में सीनियर स्टैडिंग कांसेल रा.रा.क्षे.दि.स ने दि.प.प.वि.नि. के संदर्भ में मत दिया कि प्रचालक को करार की शर्तों के अंतर्गत पार्किंग शुल्क का वहन करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.प.प.वि.नि. द्वारा करार की शर्तों को लागू करने में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई यद्यपि इसने प्रचालक को राजस्व अंश के लिए स्थगनकाल के दो वर्षों के विस्तार की रियायत देकर ₹ 1.20 करोड़ की आय छोड़ दी।

प्रबंधन ने जवाब दिया (मई 2016) कि होहो बस सेवा दिल्ली सरकार की ओर से एक समयबद्ध रूप में बिना किसी वित्तीय लाभ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिना लाभ के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसने आगे कहा कि न तो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन (रि.फॉ.को.) दस्तावेज में और न ही करार में दि.प.नि जैसे भूस्वामी एजेन्सी के लिए पार्किंग किराये के भुगतान हेतु कोई प्रावधान था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि यह कारण बताओ नोटिस जारी करने के इसके अपने निर्णय एवं सरकारी कांसेल के कानूनी राय का विरोध करता है।

मामला जून 2016 में सरकार को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

## परिवहन विभाग

### दिल्ली परिवहन आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

#### 2.8 रियायत शुल्क की कम वसूली

दिल्ली परिवहन आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.प.आ.सं.वि.नि.लि.) करार के अनुरूप रियायत शुल्क की वसूली करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप ₹ 1.49 करोड़ की कम वसूली हुई। रियायत शुल्क के देरी से भुगतान करने पर ₹ 1.49 करोड़ का ब्याज प्रभारित करने में भी यह विफल रहा।

परिवहन विभाग (प.वि.) तथा दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (दि.इं.म.ट्रां.सि.— रियायत प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित) ने अप्रैल 2010 में 20 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र भागीदारी के साथ 250 बस क्यू शोल्टर्स (ब.क्यू.शे.) के निर्माण, प्रचालन तथा रखरखाव के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किया। रा.रा.क्षे.दि.स ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के सभी ब.क्यू.शे. (कथित 250 ब.क्यू.शे. को शामिल करते हुए) के निर्माण तथा रखरखाव कार्य 16 अगस्त 2012 से दिल्ली परिवहन आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (दि.प.आ.सं.वि.नि.लि.) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया (अगस्त 2012)। दि.प.आ.स.वि.नि.लि. को दि.इं.म.ट्रां.सि. के साथ एक पूरक रियायत करार पर हस्ताक्षर करना था जो प.वि. के दायित्व के कार्यान्वयन तथा 250 ब.क्यू.शे. की मार्केटिंग, प्रचालन और रखरखाव के लिए प.वि. द्वारा हस्ताक्षरित रियायत करार के संदर्भ में मासिक भुगतान की प्राप्ति से संबंधित थी। दि.प.आ.स.वि.नि.लि. को दि.इं.म.ट्रां.सि. के साथ पूरक रियायत करार पर हस्ताक्षर करना बाकी है (नवम्बर 2016)।

विद्यमान करार के अनुच्छेद 11.1 (i) के अनुसार दि.इं.म.ट्रां.सि. को रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा अर्जित राजस्व से अलग व्यावसायिक प्रचालन तिथि (व्या.प्र.ति.) के बाद प्रथम वर्ष के लिए 250 ब.क्यू.शे. के लिए प्रत्येक कैलेंडर माह में ₹ 23.15 लाख की न्यूनतम रियायत शुल्क की शर्त के साथ ब.क्यू.शे. के अन्य स्थान पर विज्ञापन की बिक्री/किराए पर देकर अर्जित निवल राजस्व का 16 प्रतिशत रियायत शुल्क का भुगतान करना था। बाद के वर्षों के लिए, पिछले वर्ष के रियायत शुल्क के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक रियायत शुल्क प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जाना था। अनुच्छेद 11.1 (iii) अनुबंध करता है कि न्यूनतम रियायत शुल्क जिस तिमाही में देय हो उसके पहले महीने के 15वें दिन के बाद भुगतान नहीं किया जाएगा। न्यूनतम रियायत शुल्क के ऊपर अतिरिक्त रियायत शुल्क जो कि राजस्व के 16 प्रतिशत की दर से परिकलित है, उसका भुगतान लेखापरीक्षित तिमाही रिपोर्टों के साथ प्रत्येक तिमाही के अंत में 30 दिनों के अंदर किया जाना था। रियायत शुल्क समय पर चुकाने में असफल होने पर तिमाही के दौरान भुगतान नहीं किए गए समस्त रियायत शुल्क पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना की व्या.प्र.ति. 1 नवम्बर 2010 थी तथा रियायत प्राप्तकर्ता ने करार की शर्तों के अनुसार रियायत शुल्क का भुगतान नहीं किया। रियायत

प्राप्तकर्ता ने नवम्बर 2010 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹ 16.82 करोड़ के बदले ₹ 15.33 करोड़ का ही भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.49 करोड़ की कम वसूली हुई। रियायत प्राप्तकर्ता ने निर्धारित अनुसूची के अनुसार त्रैमासिक रियायत शुल्क का भुगतान नहीं किया। यद्यपि दि.प.आ.स.वि.नि.लि. ने नवम्बर 2010 से मार्च 2016 की अवधि के लिए रियायत शुल्क का देरी से भुगतान पर ₹ 1.49 करोड़<sup>32</sup> का ब्याज नहीं लगाया।

इस प्रकार, दि.प.आ.स.वि.नि.लि., दि.इं.म.ट्रा.सि. से ₹ 1.49 करोड़ के कुल रियायत शुल्क की वसूली करने में विफल रहा तथा करार के अनुसार देरी से भुगतान पर ₹ 1.49 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया।

मामला जुलाई 2016 में सरकार/प्रबंधन को भेजा गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

सुशील  
कुमार जायसवाल

नई दिल्ली  
दिनांक: 06 फरवरी 2017

(सुशील कुमार जायसवाल)  
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

शशीकान्त शर्मा  
(शशी कान्त शर्मा)

नई दिल्ली  
दिनांक: 08 फरवरी 2017

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

<sup>32</sup>10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के आधार पर परिकलित

